खण्ड-338, अंक-10
शुक्रवार, 28 वैशाख, शक संवत् 1901
(18 मई, 1979 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 338 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य		1083–1087
प्रश्नोत्तर		1089–1116
व्यवस्था का प्रश्न		1116
छितवापुर चौकी, लखनऊ के सामने स्थित मुसलमानों के कब्रिस्तान की खुदाई से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	1116–1117
बीरावाई मार्ग, लखनऊ स्थित औफिसर्स निवास में रहने वाले पत्रकारों को किस्तें न अदा करने पर पानी तथा बिजली की सुविधा समाप्त किये जाने सम्बन्धी नोटिस के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	1117–1118
कानपुर महानगर में पीलिया रोग के प्रकोप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	1118–1119
सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक संघ (सिंचाई विभाग) का विधान भवन के सामने अनिश्चित कालीन क्रमिक अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	1119
स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में डाक्टरों तथा नर्सों की लापरवाही से 17 व्यक्तियों की मृत्यु के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	1119–1120
मत्स्य विभाग, हमीरपुर की उदासीनता से केवटों में क्षोभ के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	1120–1121
जनपद बलिया के तहसील बांसडीह के अन्तर्गत ग्राम पर्वतपुर (जयनगर) में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	1121
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड में रज्जुमार्ग (रोपवे) लगाने में उदासीनता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	1121–1122
गोरखपुर जनपद के खड़खड़िया को इलाज इत्यादि ग्रामों में अग्नि काण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	..	1122–1123

विषय	पृष्ठ संख्या
गंगा नहर डिवीजन मुजफ्फरनगर में जिलेदारी चरथावल व शाहपुर में फर्जी सींच का रकबा बढ़ाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1123
आपात कालीन स्थिति के दौरान परिवहन विभाग के सेवा से मुक्त किए गए चालकों एवं परिचालकों को सेवा में पुनः लिये जाने की मांग को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1124
नियम 301 की सूचनाओं को संक्षेप में देने का श्री उपाध्यक्ष का निर्देश ..	1124–1125
अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दंगे पर चर्चा के अवसर पर मुख्य मंत्री द्वारा कही गई बातों पर श्री फजलुलबारी द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने हेतु समय की मांग । ..	1125–1128
वित्त मंन्त्री श्री मधुकर दिघे के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	1128–1129
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	1129–1130
निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	1130
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	1130–1131
जिला एटा में गंज डुंडवारा चुंगी घर के पास आग लगने के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	1131–1133
उन्नाव के कतिपय विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं निलम्बन के आदेशों के पालन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की सूचना ..	1134
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1979 पुनः स्थापित किया गया । ..	1134–1135
कार्य-स्थगन प्रस्ताओं की सूचनाएं ..	1135
उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 1978 (स्वीकृत हुआ) ..	1135–1153
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	1153
सारनाथ (वाराणसी) संग्रहालय में संग्रहित पुरातत्व महत्व की सम्पत्ति गायब हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	1153–1161

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 18 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (3 8)

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अड़ई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सिंह नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कासिम हसन, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री

चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
छोटे लाल यादव, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
डी० पी० वोरा, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बशीर अहमद, श्री
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबूराम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)

बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मकदूल अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान पाल सिंह, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनेन्द्र पाल सिंह, श्री
मुक्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लास, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री

राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन्द, श्री
राम जनम, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सिंह, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मिसल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुल्लई भाई)

श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाटी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुमीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुल्तान सिंह श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरि कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट :—हरिजन समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

संसद भवन

عينة طبعة اختبار

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 18 मई, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर्स नैनी, इलाहाबाद में पुलिस द्वारा चलाई गयी गोली

**1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक 29 मार्च, 1979 को इलाहाबाद में नैनी औद्योगिक संस्थान के भारत पम्प एण्ड कम्प्रेशर्स के फाटक पर पुलिस द्वारा ग्रामीणों पर गोली चलाई गई ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा इस बारे में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

जी हां, 29-3-1979 को भारत पम्प एन्ड कम्प्रेशर्स नैनी के समक्ष निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर उग्र प्रदर्शन किया गया तथा प्रदर्शनकारियों ने 6 बसें और पुलिस की 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त कीं और एक बस में आग लगा दी। पुलिस द्वारा अश्रु गैस का प्रयोग तथा लाठीचार्ज किया गया । प्रदर्शनकारी तितर-बितर हुये और उनमें से कुछ लोगों ने पास के मकान से गोली चलाना प्रारम्भ किया । पुलिस की ओर से मजबूरी से 3 गोलियां चलायी गयीं । 31 व्यक्ति गिरफ्तार हुये तथा 2 एस0 बी0 बी0 एल0 बन्दूकें एवं एक देशी पिस्तौल प्रयुक्त और भरे कारतूसों के साथ बरामद हुई। घटना में दो व्यक्ति मारे गये और 7 लोगों को चोटें आयीं। परगना मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष, 26 पुलिस एवं पी0 ए0 सी0 के कर्मचारी, छः सी0 आई0 एस0 एफ0 के कर्मचारी घायल हुये । इनमें 3 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं । घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा करायी जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

फैक्टरी बनने पर उन लोगों को उसमें नौकरी दी जायेगी, इस बात का आश्वासन दिया गया था और जब मांग पूरी नहीं हुई, तो प्रदर्शन करने आये थे । यह प्रदर्शन सरकार की ओर से कोई निर्णय न लेने के कारण हो रहा था । यदि हां, तो क्या कारण था ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

1970 में प्रतिष्ठान को चलाने के लिए लगभग 228 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गयी थी और उसमें 152 परिवारों की जमीन ली गई थी और यह आश्वासन की बात नहीं आमतौर पर यह ध्यान रहता है कि जिन लोगों की जमीन ली जाये उनको नौकरी दी जाये । उनमें 93 परिवारों को नौकरी दी जा चुकी है बाकी के बारे में मामला विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या यह सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में तथा अन्य में भी इस गांव से भिन्न बहुत से कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, बहुत से कारण हो सकते हैं । एक कारण तो यह था कि यह प्रदर्शन राजनैतिक कारणों से कर रहे थे । अगर वह शान्तिपूर्ण रहता तो सरकार किसी भी स्थिति में पुलिस का सहयोग न लेती और न लोगों को दंडित करने की चेष्टा करती। उन लोगों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, दूसरे लोगों को चोटें भी पहुंचाई । ऐसी स्थिति में इस प्रदर्शन का मुकाबला करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि चतुर्थ श्रेणी और अकुशल ऐसे भी कर्मचारी हैं, जो इस गांव के निवासी नहीं है ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मेरी जानकारी में ऐसे कोई कर्मचारी नहीं हैं । अगर माननीय सदस्य को ऐसी सूचना हो तो उसकी जांच करा ली जायेगी ।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो 93 कर्मचारी रखे गये हैं, उनमें कितने चतुर्थ श्रेणी के हैं कितने तृतीय श्रेणी के हैं और कितने अधिकारी हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर इसकी तो इस समय जानकारी नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, असल मामला यही है । असंतोष का मूल कारण यही है । अगर इसकी जानकारी मन्त्री जी नहीं दे पाये, तो प्रश्न की भावना ही समाप्त हो जाती है ।

बाबा राम अधार यादव--

जो उत्तर दिया है, वह बिलकुल ही गलत है क्योंकि भाषण के रूप में मन्त्री जी ने उत्तर दिया है । 28 तारीख को सब जगह इसकी जानकारी थी कि वहां प्रदर्शन होगा, मगर पुलिस वहां की सोती रही, प्रशासन वहां सोता रहा । सुबह ही अपनी पाली पर जो काम पर जा रहे थे, 6 बजे उन्हें जबरदस्ती रोका गया।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो अपनी जानकारी दे रहे हैं । आपने यह सवाल किया था कि कितने कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं, कितने तृतीय और कितने अधिकारी हैं । यह जानकारी उनके पास नहीं है ।

बाबा राम अधार यादव--

मान्यवर, मैं बतला देना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट बिलकुल गलत है, झूठी है । मैंने माँग की थी जुडीशियल इन्क्वायरी की । मैं पूछना चाहता हूं कि जो मजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी कराना चाहते हैं वह आज भी नहीं हो पायी । क्या जुडीशियल इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है । तत्काल ही मजिस्ट्रीरियल जाँच के आदेश हो गये थे और जाँच हो गई । बाबा राम अधार का जैसा सवाल है, ऐसी बात नहीं है । मान्यवर, इसमें कोई असन्तोष की बात नहीं है । 152 परिवारों की बात है जिनकी जमीन ली गयी । जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं, उनमे भरसक कोशिश के बाद 93 परिवारों को सर्विस दी जा चुकी है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, वहां गोली चली । जनता पार्टी के शासन काल में आमतौर पर गोली चला करती है । गोली चलना कोई नई बात नहीं है । जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि १५२ परिवारों की जमीन ली गयी ,उसमें से ९३ परिवारों को नौकरी दी गयी । ९३ के बाद जो शेष हैं उनको भी उस संस्थान में कोई नौकरी देने के बारे में सरकार विचार कर रही है । यदि हां, तो क्या ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जैसा मैंने निवेदन किया कि यह कोई कानूनी प्रश्न नहीं है । यह सिर्फ सरकार के दायित्व के रूप में है । ऐसे प्रतिष्ठानों को जब कभी भी प्रतिस्थापित किया जाता है, तो निश्चित रूप से जमीन लेनी पड़ेगी और उसका मुआवजा देना पड़ेगा । मैंने इस बात की पूरी कोशिश की कि उस प्रतिष्ठान में अधिक से अधिक लोगों को रखा जाये । उन परिवारों में जो उसमें पढ़े हैं उनमें से 93 को नौकरी मिल गयी है बाकी के बारे में कोशिश की जा रही है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या कोशिश की ?

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---

मंत्री जी ने कहा कि इतने परिवारों को काम दिया गया । लेकिन प्रश्नकर्त्ता ने जानकारी चाही थी कि उसमे जो टेक्निकल आदमी आते हैं उनको वहां लिया जायें । जितने आदमियों की जमीनें ली गयी ।

उसमें से कितने कर्मचारी लिये गये ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्पष्ट बतायें कि जिन परिवारों की जमीन ली गयी है, उनमें से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में कितने लिये गये हैं और बाहर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में कितने रखे गये हैं, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वहीं उपलब्ध थे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इसका उत्तर मैं दे चुका हूं। चूंकि प्रश्न शांति व्यवस्था से सम्बन्धित था, कितने लोग बाहर से लिये गये हैं, क्या अर्हतायें हैं, यह व्यापक प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

बाहर से कितने लोग चतुर्थ श्रेणी में लिये गये हैं, उसकी सूचना हो तो आप दे दें ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि 152 परिवारों की जिनकी भूमि ली गयी है, उनको मुआवजा देने के बावजूद भी उनमें से 93 परिवार के लोगों को नौकरी दी गयी है ।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

मान्यवर, जिस कारण से यह स्थिति उत्पन्न हुयी और दो आदमी मारे गये, मन्त्री जी अब भी स्पष्ट नहीं कर पाये कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में कितने बाहर के हैं तो समस्या की जड़ वहां मौजूद है और फिर इसी प्रकार का संघर्ष हो सकता है । इसलिये इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय या इस पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जिस वजह से यह हुआ इसके पीछे बहुत से कारण थे, उसमें से एक कारण राजनीतिक था । श्री गुरुजा जो कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता हैं वहां झगड़ा कराना चाहते थे, वरना बन्दूकों का मिलना, कट्टों का मिलना उचित नहीं मालूम होता, तो इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है । उन्होंने इस प्रकार का उग्र प्रदर्शन कराया जिसका मुकाबला करने के लिये गोली चलानी पड़ी ।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, वहां चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बाहर से रखे गये हैं, नतीजा यह हुआ कि लोगों ने आन्दोलन किया तो क्या इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, वह भारत सरकार का संस्थान है और कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी चीज संविधान में नहीं है कि किसी को हम बाध्य कर सकते हैं कि वह इस ढंग से नौकरी में रखें । (शोर)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने बताया कि इसमें 2 व्यक्ति मरे और 7 घायल हुये तो मुझे मालूम हुआ है कि मृतकों को आर्थिक सहायता दी गयी है, तो क्या उनको उचित रूप से सहायता दिलाने की कृपा करेंगे ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

जो मृतक हैं उनको 5 हजार रुपये दिये गये हैं । 16 साधारण रूप से घायल व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 250 रुपये और 5 गंभीर घायल व्यक्तियों को 500-500/ रुपये दिये गये हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि घटना के पीछे कुछ राजनीतिक लोग थे और नाम भी लिया है, तो राजनीतिक कारण थे या नहीं इसके लिये जुडीशियल जांच कराने के लिये तैयार हैं ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, इसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि मैजिस्ट्रीरियल जांच हो रही है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया है कि 152 भूमिहीनों में से 93 को नौकरी मिल गयी, तो 93 के अलावा जिनको नौकरी मिली क्या वह बाहर से लिये गये थे, इसलिये भूमिहीनों को नौकरी न देकर कोई अनियमितता बर्ती गयी है, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी जांच करायेंगे जैसा कि उन्होंने कहा है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, क्या इसकी जांच करायेंगे कि 93 के अलावा जो जगहें खाली थीं, उनमें भूमिहीनों को प्राथमिकता नहीं दी गयी और बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी गयी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो कह दिया है कि जांच करा लेंगे ।

श्री रामनरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, जिनकी जमीन ली गयी और उनके परिवार के सदस्य क्वालीफाइड नहीं थे तो उनको चतुर्थ श्रेणी में भर्ती क्यों नहीं की गयी ? इसलिये मैं चाहता हूं कि उनके रोजी-रोटी की व्यवस्था करने के स्पष्ट आदेश आप दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो वे कह चुके हैं कि हम जांच करायेंगे ।

बाबा राम अधार यादव--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि संस्थान में 500 लेबर कैजुअली 10 रुपये प्रति दिन के हिसाब से काम करते हैं । यदि हां, तो उसमें भूमिहीन रखे गये हैं कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी भी मंत्री जी जांच करा लेंगे ।

फैजाबाद जिले के अयोध्या स्थित नूतन राधवकुन्ज से रामचरित मानस की हस्तलिपि की चोरी

**2--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) तथा श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में अयोध्या में श्रावण कुंज में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी की हस्तलिपि में रामचरित मानस के बालकान्ड की एक प्रति थी जो इस वर्ष चोरी चली गई है ? यदि हां, तो धार्मिक, ऐतिहासिक तथा साहित्य की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण उक्त दुर्लभ प्रति को खोजने के लिये शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां । नूतन राधवकुंज से उक्त प्रति की चोरी हुई थी । प्रति की खोज में भारत-वर्ष के प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षकों को रेडियो ग्राम भेजा जा चुका है जिसमें दुर्लभ प्राचीन वस्तुओं की खरीद फरोख्त करने वाले दुकानदारों के यहां विशेष रूप से तलाशी लिये जाने का भी निदेश दिया जा चुका है । पुलिस अपराध की विवेचना कर रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मंत्री जी का जवाब लेटेस्ट सूचना पर आधारित नहीं है । क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि श्री जानकी प्रसाद तिवारी के पास एक प्रति है और उन्होंने इस संबंध में फैजाबाद की किसी अदालत में हल्फनामा

भी दिया है, उनका संबंध किसी ऐसे अवांछनीय तत्वों से है, जो विदेशी खुफिया एजेन्सी के लिये काम करते हैं, तो ऐसे राजनीतिक तत्वों के इशारे पर इस प्रति को विदेश भेजने की क्या उनकी योजना थी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, एक सप्ताह पूर्व सूचना मिली है और रेडियो पर भी इसका प्रसारण हुआ था, उसके बाद डी0 एम0, फैजाबाद से टेलीफोन पर सम्पर्क किया गया, तो यह मालूम हुआ है कि एक व्यक्ति ने उस अदालत में जिसमें मामला चल रहा है एक इस ढंग का प्रार्थना-पत्र एडवोकेट के थ्रू दिया है कि वह प्रति जिसके संबंध में कहा जा रहा है कि चोरी हो गयी है, वह मेरे पास है, तो जब अदालत कहेगी तो मैं उसको अदालत में पेश कर दूंगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, इस जवाब पर मेरी आपत्ति है कि जब मंत्री जी को जानकारी थी तो जवाब देने के पहले जो लेटेस्ट सूचना है, वह सदन को देना चाहिये । इसलिये मान्यवर, आप इनको हिदायत करें कि जवाब लेटेस्ट सूचना के अनुसार दिया करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो अनुपूरक प्रश्न है । इसके लिए भी कुछ सामग्री रखते हैं । मुख्य प्रश्न का जो उन्होंने उत्तर दिया है यह बिल्कुल सही दिया है, आप देखेंगे इसमें कोई चीज छोड़ी नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

उनको जानकारी में आ गया था कि वह प्रति मिल चुकी है तो देश भर के थानों को परेशान करने की बात, निर्देश देने की बात, जो आज भी जारी रखे हैं, इसका क्या औचित्य है ? जवाब को उचित ठहरा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी की जानकारी में आ गया कि वह प्रति एक सज्जन के पास उपलब्ध है क्या इसकी सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए शासन की तरफ से निश्चय किया गया है कि जो प्रति वह अपने पास बताते हैं, वह सत्य प्रति है या नहीं या कोई डुप्लिकेट तो नहीं रखी है और असली प्रति विदेशों को भेज दी गई हो ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

पहले तो यह उत्तर बिल्कुल लेटेस्ट है, तो सवाल भी वैसा ही आना चाहिए । यदि सवाल को परिवर्तन करने की छूट हो, तो उत्तर भी वैसा ही हो जायगा । जहां तक माननीय विधायक ने कहा है कि सत्यता की व्यवस्था की गई है या नहीं, तो उसकी

[श्री रमाशंकर कौशिक]

व्यवस्था की जा रही है और किसी भी प्रकार से ऐसी दुर्लभ पुस्तकों की हिफाजत के लिए कोई भी कदम पीछे नहीं रहेगा और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जायेगा जिससे ऐसी सम्भावना हो ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने तस्लीम किया है कि तुलसीदास की हस्तलिपि उनके ही हाथों से लिखा हुआ बाल काण्ड रामायण या रामायण उसके पास है क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि यह रामायण एक ही जगह उपलब्ध है और सारे उत्तर प्रदेश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न आपका साफ नहीं है, काल्पनिक प्रश्न है ।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन सज्जन ने स्वीकार किया है कि उनके पास एक प्रति है, तो शासन ने या फैजाबाद पुलिस ने अब तक उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? वह स्वछन्द घूम रहे हैं या अन्डर कस्टडी हैं । उनके पास जो प्रति है उसे लेने के लिए शासन की तरफ से क्या प्रयास किया जा रहा है ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, प्रश्न को देखते हुये तथा दुर्लभ चीज को प्राप्त करने की दृष्टि से इस प्रश्न के उत्तर की इजाजत न दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रामायण की प्रति जिस अभियुक्त के पास रखी हुई है, पुलिस द्वारा दबाव डालने पर वह कहता है कि इसको या तो जला देंगे या सरजू में प्रवाहित कर देंगे । यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है । क्या सरकार इसे अपने पास लेने के लिए कोई प्रयास कर रही है, जिससे उसकी रक्षा हो और वह नष्ट न हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत मैं नहीं देता । अभी मंत्री जी ने निवेदन किया था कि प्रश्न के हित में इसकी इजाजत नहीं दी जाय ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इसकी इजाजत आप नहीं देते, ठीक है, लेकिन प्रश्न के महत्व को देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी नोटिस में कब यह बात आई और अब तक उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई जिसके पास रामायण बताई जाती है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप को सूचना कब मिली इसका जवाब दे दीजिए ।

श्री रमा शंकर कौशिक––

शुरू में ही निवेदन किया था––एक सप्ताह ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)––

क्योंकि मामला बड़ा पेचीदगी पकड़ रहा है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रथम चोरी की रिपोर्ट क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक––

मान्यवर, यह जो नूत राघवकुंज स्थान है इसके जो महन्त हैं सिया राम जी वह जब पुष्कर, राजस्थान के दौरे पर गये थे, तब वहां पर एक चोरी हुई और उनके जाने के बाद जो व्यक्ति वहां पर रहते हैं (श्री योगेन्द प्रताप सिंह जी) उन्होंने 30 तारीख को रिपोर्ट लिखाई थी । उस रिपोर्ट में इन्होंने यह नहीं बताया कि जो दुर्लभ पुस्तिका है, वह चोरी हो गयी है । उन्होंने रिपोर्ट लिखाई कि कुछ सामान लेकर लोग चले गये और जबरदस्ती घुस आए और उसमें श्री जानकी प्रसाद तिवारी और घनश्याम पांण्डेय तथा 20/25 और लोगों के नाम बताये, तो उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो गयी है और गिरफ्तार कर लिया गया है । जब जोगेन्द्र प्रताप सिंह जी अनुपस्थित थे, तो जो रिपोर्ट लिखाई है उसके अनुसार जो सामान ले गये थे, उसमें यह पुस्तक भी थी।

प्रदेश में उर्दू जबान को दूसरा दर्जा दिये जाने की मांग

**3––श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ) तथा श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)––

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उर्दू जबान बोलने वालों का बहुमत होने के बावजूद भी उर्दू जबान को दूसरा दर्जा न देने का क्या कारण है ?

श्री रमा शंकर कौशिक––

यह कहना सही न होगा कि उत्तर प्रदेश में उर्दू जबान बोलने वालों का बहुमत है । फिर भी उर्दू की प्रगति तथा विकास के लिए यह सरकार हर सम्भव प्रोत्साहन दे रही है ।

श्री मन्जूर अहमद––

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास कौन से आधार हैं कि कहते है कि बहुमत नहीं है––नम्बर 1, नम्बर 2 यह पूंछना चाहता हूं कि उर्दू जबान को दूसरा दर्जा न देने का कारण क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक––

मान्यवर, 1971 की जनगणना के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में उर्दू बोलने वालों का परसेंटेज 10.49 है ।

मन्जूर अहमद—

इसको साढ़े दस कह दें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

ठीक है, 10.50 कह दें। लेकिन जो पुनर्गठन आयोग ने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि किसी राज्य की एक भाषा तभी मानी जानी चाहिये जब वहां की जनसंख्या का 70% या उससे अधिक हो और जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उसकी संख्या आबादी का 30% हो, तो उस प्रदेश को द्विभाषीय माना जाना चाहिये। तो जो पुनर्गठन आयोग की संस्तुति हैं और जो संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है और जिसमें अर्हताओं की शर्तें दी गई हैं, उन आधारों को देखते हुये जब-जब यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आया तब-तब उस वक्त की सरकारों ने भी यही निर्णय लिया है जिस तरह की बात मैं माननीय मन्जूर अहमद को बता रहा हूं।

श्री मन्जूर अहमद—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित उन्होंने कहा है कि उर्दू की प्रगति के लिये उनकी सरकार ने प्रगति की। मैं जानना चाहता हूं कि उर्दू की प्रगति के लिय आपकी सरकार ने कौन-कौन से काम किये हैं, जिसके आधार पर कि यह कहा जा सके उर्दू की प्रगति के लिये आपकी सरकार ने अलाहदा से कुछ काम किये हैं।

श्री रमाशंकर कौशिक—

जिनके नेतृत्व में सरकार काम कर रही ह—मेरा मतलब माननीय चौधरी चरण सिंह जी से है—उन्होंने सन् 1967 में जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्य मन्त्री थे, फैसला लिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के गजट उर्दू में भी प्रकाशित होंगे, जरूरी कानून इत्यादि भी उर्दू में प्रकाशित होंगे। अगर मन्जूर साहब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

माननीय मन्त्री जी ने, मान्यवर, फरमाया कि गजट 1970 से उर्दू में निकल रहे हैं और इससे पहले कहा कि साढ़े दस परसेंट उत्तर प्रदेश की जनता उर्दू बोलती है जिसकी मादरी जबान उर्दू है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह इस गजट का छपवाना कब बन्द करेंगे क्योंकि उर्दू का प्रदेश में पढ़ाने का कोई माकूल इन्तजाम नहीं है। थ्री लैंग्वेज फारमूला में क्लासिकल लैंग्वेज रखी गयी है जब कि उसमें माडर्न इंडियन लैंग्वेज होना चाहिये थी। अगर सरकार यह चाहती है कि उर्दू में जो गजट छपता है उससे कोई फायदा हो सके तो थ्री लैंग्वेज फारमूला में उर्दू को वह कम्पलसरी कराएगी।

श्री रमाशंकर कौशिक—

जहां तक प्राइमरी कक्षाओं में मातृ भाषा में शिक्षा देने का सम्बन्ध है इसके लिये निर्देश दिये जा चुके हैं कि किसी स्कूल में 40 अथवा किसी कक्षा में 10 बच्चे भी यह कहें कि वे उर्दू में पढ़ना चाहते हैं तो उनको वह सुविधा दी जाती है । जूनियर हाई स्कूल का जहाँ तक सम्बन्ध है कक्षा 6 से 8 तक त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत उर्दू को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है । किसी विद्यालय में एक कक्षा में अगर 5 विद्यार्थी भी यह कह दें तो उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था उनके लिये की जाती है ।

श्री फजलुलबारी—

त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत उर्दू को कम्पलसरी करने के बारे में भी उत्तर मिलना चाहिये ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

शासन के विचार में त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत उर्दू को अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा कांग्रेसी राज्य में तीस साल तक न देने का क्या कारण था ? दूसरे जनता सरकार ने उर्दू के विकास के लिये कौन-कौन से कार्य किये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न के पहले भाग की इजाजत नहीं है । दूसरे भाग का उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

त्रिभाषा फारमूले के अन्तर्गत उर्दू को एक भाषा का स्थान मिले वरीयता के आधार पर इसके बारे में शासन विचार कर रहा है । जहां तक उर्दू के विकास का प्रश्न है उर्दू एकेडमी के जरिये से किसी प्रकार की कोई कमी शासन की ओर से नहीं हो रही है । पिछले वर्ष 10 लाख रुपये का प्राविधान उर्दू के लिये किया गया था जो कभी नहीं किया गया था । पहले कुछ ही जिलों में उर्दू में राजाज्ञायें छपती थीं लेकिन अब उसके लिये कई जिलों में व्यवस्था कर दी गयी है, जहां पर उर्दू में बोलने वाले लोग पर्याप्त संख्या में रहते हों ।

श्री देव बहादुर सिंह—

1977 में जब विधान सभा का चुनाव हुआ, तो उस समय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में यह उल्लिखित था कि जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी भाषा बन जायगी ? यदि हां, क्यों नहीं बनाया गया ? दूसरे उर्दू के विकास के लिये 1977-78 तथा 1978-79 में कितने-कितने धन का आवंटन किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपके प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जा चुका है। घोषणा-पत्र सम्बन्धी प्रश्न का जवाब दे दें।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मैं बता दूं। 1977-78 में ही 10 लाख रुपया उर्दू अकादमी के लिये दिया गया था जो कि कभी कांग्रेसी शासन के अन्तर्गत नहीं दिया गया। इसके अलावा जहां तक प्रशासन की बात है उसमें विधियां, नियमों और कानूनों के सारांशों को जहां उर्दू बोलने वालों की आबादी 15 प्रतिशत या उससे अधिक है, उर्दू में प्रकाशित किया जाता है। 1959 में यह सुविधा केवल रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के जिलों तथा लखनऊ को ही दी गई थी किन्तु अब 1967 से उत्तर प्रदेश के सभी कानूनों, बायदों, विज्ञप्तियों आदि को और भी जिलों में गजट में प्रकाशित करने की सुविधा दी गई है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूचियां उर्दू में छपवाई जा रही हैं। साथ ही उर्दू में अर्जी देने की सुविधा दी गई है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी कहा कि उर्दू भाषा फारमूले के अन्तर्गत नहीं आती, राज्य पुनर्गठन आयोग की योग्यताओं के अन्तर्गत भी नहीं आती और संविधान के अनुच्छेद 350 (ए) के अधीन नहीं आती, तो क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत जो यह निर्देश दिया गया है कि हिन्दी के रूप, पद और शैली तथा शब्द जो उर्दू में होंगे उनको हिन्दी में समाहित कर दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

इससे यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, 1977-78 में उर्दू की प्रगति के लिये जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, उसमें उत्तर प्रदेश में कितने टीचरों की नियुक्त प्राइमरी से लेकर ऊपर तक हुई है। दूसरा सवाल यह है कि 1974-75 और 1975-76 से जब से उर्दू अकादमी हुई और उर्दू के टीचर नियुक्त हुये आपकी सरकार ने क्या-क्या काम किये हैं?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, जहां तक पहले प्रश्न का मतलब है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि हम राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज आगरा, राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज, मवाना, राजकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज, निशातगंज (लखनऊ), राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, सकलडीहा (वाराणसी) में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त कार्यरत और अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को पत्राचार प्रणाली द्वारा भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

श्री मंजूर अहमद--

1977-78 और 78-79 में कितनों को दिया गया?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मैं तो आज तक की सारी स्थिति बता रहा हूं।

महाविद्यालयों के प्राध्यापकों द्वारा आवासीय भत्ता की मांग

**4--श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर), श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य कि राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को माध्यमिक शिक्षण

संस्थाओं के शिक्षकों के समान आवासीय भत्ता दिये जाने का राज्य सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)--

महाविद्यालयों के शिक्षकों ने यह मांग की है । उस पर विचार कर शीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री सूबेदार प्रसाद---

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को आवासीय भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया जायेगा, उसके सम्बन्ध में कोई निश्चित समय बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि जो मांग शिक्षकों की ओर से आई है, उसमें आप जानते हैं कि वित्त विभाग से भी परामर्श करना होता है ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो इसमें अधिक समय लगेगा, यही आप उन्हें बता दें ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

निकट भविष्य में जो भी निर्णय होगा उससे अवगत करा देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि उन्होंने कहा इस पर विचार करेंगे, तो क्या सन्दर्भित मांग को शिक्षा विभाग ने सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है और उसके कार्यान्वयन के बारे में विचार किया जा रहा है अथवा सिद्धांततः स्वीकार करना भी विचाराधीन है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

अभी तो यह मांग आई है, इसको हम देख रहे हैं, जो भी इस पर विचार करना होगा, किया जायेगा ।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"---

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के सिलसिले में इस समस्या पर विचार कर रहे हैं, तो क्या शिक्षा मन्त्री जी नीचे से चलने वाले जो प्राइमरी अथवा जूनियर टीचर्स हैं, उनके सम्बन्ध में भी विचार करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह इससे नहीं उठता है ।

तारांकित प्रश्न

कर्मचारियों की पेंशन में मंहगाई भत्ते का समायोजन किये जाने का निर्णय

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता वेतन में शामिल किये जाने की भांति उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता वेतन में शामिल किये जाने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो वस्तुस्थिति क्या है तथा इसका निर्णय कब तक हो जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मंहगाई भत्ता और अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की उतनी धनराशि पेंशनरी लाभों हेतु वेतन में गिन ली जायेगी जो अखिल भारतीय श्रमजीवी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960=100) के 272 अंकों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को स्वीकृत थी । इस सुविधा की घोषणा वर्तमान वित्तीय वर्ष (1979–80) का आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय बजट भाषण में की जा चुकी है । कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय वित्त मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मंहगाई भत्ता को वेतन से जोड़ने का जो निर्णय शासन ने लिया है, यह निर्णय किस तिथि से प्रभावी होगा और इसको लागू करने की राजाज्ञा किस तिथि से कर दी गई है ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, यह जो प्रस्ताव है वह 1–4–79 से है । जब यह बजट सदन में प्रस्तुत हुआ उसमें दिया है और जब यह स्वीकार कर लिया जायेगा इसके आर्डर कर दिये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सुविधा राज्य कर्मचारियों को दी जा रही हैं, वह इनसे भिन्न जो गैर–सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यालयों के अध्यापक हैं अथवा स्थानीय निकायों के कर्मचारी हैं या निगमों के कर्मचारी हैं उन पर भी यह लागू होगा, यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, जैसा मैंने उत्तर में कहा है यह पेंशनरों को लागू होगा, तो पेंशनरों कानून के नियम जिन भी संवर्गों पर लागू होंगे, उन सब पर लागू होगा ।

लखनऊ जिले में कार्यरत तहसीलदार का वेतन

*2--श्री प्रदीप कुमार यादव--(जिला बाराबंकी) क्या यह सही है कि 1976 में लखनऊ जिले में कार्यरत एक तहसीलदार जिन्होंने पिछले पन्द्रह वर्षों से इसी पद पर विभिन्न जिलों में काम किया है, को केवल प्रारम्भिक वेतन रु0 400 ही दिया जा रहा है ? यदिऐसा है, तो क्यों ?

उप-मुख्य मन्त्री एवं राजस्व मन्त्री (श्री नारायण सिंह)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय उप-मुख्य मंत्री जी, इसमें जो 'सूचना एकत्र की जा रही है' कहा है, वह तो केवल एक ही तहसीलदार के बारे में है इसमें कोई ज्यादा समय या जानकारी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये ।

श्री नारायण सिंह--

मान्यवर, मैं फिर से सवाल पढ़ उदूं क्या यह सही है कि 1976 में लखनऊ जिले में कार्यरत एक तहसीलदार जिन्होंने पिछले 15 वर्षों से इसी पद पर विभिन्न जिलों में काम किया है, को केवल प्रारम्भिक वेतन रु0 400 ही दिया जा रहा है, यदि ऐसा है, तो, क्यों ? तो लखनऊ में कितनी तहसील हैं और कौन तहसीलदार है, उसका नाम भी नहीं है इस सवाल में । तो इसकी जानकारी की जा रही है । मालूम हुआ कि कोई कैलाश चन्द्र सारस्वत हैं और यह भी मालूम हुआ कि रिटायर हो गये हैं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव --

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं आखिर यह जो सूचना एकत्रित की जा रही है इसका उत्तर मंत्री जी इसी सत्र में ही देने का आश्वासन देगें ?

श्री उपाध्यक्ष :

वह तो 15 दिन का समय होता है इसकी नियम में व्यवस्था है 15 दिन के अंदर दे देगें।

ग्राम समाज की भूमि का आवंटन न होने के संबंध में कथित आदेश

*3--श्री मित्र सेन--

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में कृषि योग्य ग्राम समाज की भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है । यदि हाँ, तो पात्र व्यक्तियों में कृषि योग्य भूमि का आवंटन न होने का क्या कारण है ?

श्री नारायण सिंह--

ग्राम समाज की आवंटन योग्य भूमि का आवंटन बन्द करने के लिये शासन के कोई आदेश नहीं है । प्रदेश में ग्राम समाज की कुल 6,12,699 हेक्टेयर भूमि पात्र व्यक्तियों में आवंटन हेतु उपलब्ध थी जिसमें से 6,09,498 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी

हैं । शेष 3,201 हेक्टेयर भूमि का आवटंन मुख्यतः इसलिये नहीं किया जा सका कि इसमें से कुछ भूमि के लिये न्यायालय के स्थगन आदेश हैं तथा कुछ भूमि राजघाट बांध, शाहजाक बांध तथा बीना प्रोजेक्ट के विस्थापितों के लिये आरक्षित है ।

श्री मित्रसेन—

कुल उपलब्ध भूमि 6,12,699 हेक्टर भूमि में से 6,09,498 हेक्टर भूमि बांटने पर जो 3201 हेक्टर भूमि बची है, तो क्या उस आवंटित भूमि में से कुछ भूमि ऐसी है, जो 8 प्रतिशत से कम होने के कारण उस पर मुकदमें कायम कर दिये गये हैं और उसके आवंटन निरस्त कर दिये गये हैं । और क्या सरकार उसके अतिरिक्त भूमि पर विचार कर रही है ?

श्री नारायण सिंह—

सवाल साफ नहीं है, फिर भी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो जमीन इस वक्त हमारे पास बकाया है वह अदालतों के आदेश से रुकी हुई है, आदेश खत्म हो जायेंगे, तो हम उसको बांट देंगे । कुछ सीलिंग के मुकदमें हैं, जितनी उनसे भूमि निकलती जा रही है, उसको बांटा जा रहा है । किसी गांव विशेष की उन्हें जानकारी हो, तो वह हमें बता दें, तो उसके बारे में मैं अलग से बता दूंगा ।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य—

जो भूमि आबंटित की गई है, उस ग्राम समाज की भूमि 8 प्रतिशत से कम थी, यदि इस प्रकार के कोई पट्टे हुए हैं, तो क्या शासन की ऐसी नीति है कि उनको निरस्त कर दिया जायगा ?

श्री नारायण सिंह—

हां, नीति तो यही है, लेकिन कोई मामला सामने आए तभी बताया जा सकता है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

6,09,498 हेक्टर भूमि जो आवंटित की जा चुकी है, उसके बारे में क्या मंत्री जी को निश्चित जानकारी है कि उस पर उनको कब्जा भी दिला दिया गया है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि कागज पर आवंटन के बावजूद लोगों को मौके पर कब्जा नहीं मिला है ? तो क्या इस बारे में आपको जिलेवार जानकारी है कि इतने इतने साल से हमको पट्टे एलाट होने के बावजूद भी कब्जा नहीं मिला है ? और जो कई वर्षों से स्थगन आदेश पड़े हैं, उनका वह शीघ्र निपटारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

ऐसी शिकायतें तो आती रहती हैं, बहुत दफा आती हैं । उस पर हम तत्काल कार्यवाही करते हैं । किसी स्थान के बारे में माननीय सदस्य बतायें तो कार्यवाही की

जाएगी और मैं तो यही समझता हूं कि जहां जमीन एलाट की गई है, विपरीत सूचना नहीं आती हैं, तो उस पर उनको कब्जा मिल गया है ।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

जो 6,09,498 हेक्टेयर भूमि बांटी गई है, वह कांग्रेसी शासनकाल से अब तक बांटी गई है या केवल जनता शासन के दो सालों में वह बांटी गई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न आपका साफ नहीं है ।

श्री दीप नरायन--

यह सवाल इसलिए उठता है, जनता में भ्रम है कि जनता पार्टी के शासन ने जमीन बांटना बन्द कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने साफ कर दिया । मित्रसेन जी के पास उत्तर होगा । उन्होंने कहा है कि कोई इस तरह का आदेश शासन की तरफ से नहीं गया है कि जमीन न बांटी जाय । यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है ।

श्री ओंकारनाथ (जिला हमीरपुर)--

मैं जानना चाहता हूं कि जो 6 लाख कुछ हेक्टर भूमि आवंटित की गयी है इसमें सीरदारी के पट्टे की भूमि कितनी है और असामी के पटटे की कितनी भूमि है और शासनादेश के अनुसार आसामी के जितने पट्टे दिये गये हैं वे सीरदारी के पट्टों में परिवर्तित करने की शासन की योजना है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह सवाल बहुत विस्तृत है । मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री देव बहादुर सिंह--

जैसा कि माननीय मंत्री ने उत्तर में बताया कि 6,09,498 हेक्टर भूमि ग्राम समाज की आवंटित की जा चुकी है, मैं जानना चाहता हूं कि यह भूमि किस तारीख तक आवंटित हो गयी । दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इसके अतिरिक्त भूमि बची है जिसे भूमिहीनों में बांटा जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दें । तारीख की सूचना तो बहुत लम्बा प्रोसेस रहा है जब से भूमि बांटना शुरू हुई तब से अब तक जो आंकड़े दिये ह वह दे दिये हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह--

अगर तारीख हो तो बतला दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

दूसरे भाग की सूचना दे दें कि जो बाकी भूमि बची है उसको बांटने के लिए कोई आदेश दिये हैं कि शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था की जाय ।

श्री नारायणसिंह--

मान्यवर, दिसम्बर, 1978 तक के मैंने आंकडे दिये हैं जितनी जमीन सीलिंग से हमारे पास आ जाती है वह आंकडे एकत्र कराये जा सकते है, उसको हम बाँट रहे हैं ।

श्री मंन्जूर अहमद--

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 1977-78 में कितने हेक्टर भूमि भूमिहीनों में बांटी गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह आंकड़े आपके पास हैं जो भूमि बटी है ?

श्री मंन्जूर अहमद--

मान्यवर....

श्री उपाध्यक्ष--

उसमें कुछ हरिजन, कुछ खेतिहर मजदूर जिसमें हर बिरादरी के लोग हैं, अलग से सूचना सम्भवतः नहीं होगी ।

श्री नारायण सिंह--

यह सूचना मेरे पास नहीं है कि 1977-78 के पहले और बाद में कितनी बटी ।

श्री मंसूर अहमद--

एक एकड़ जमीन बांटी नहीं गयी है ।

मैनपुरी जिले की ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहाना के प्रधान, श्री एदल सिंह एवं नायब तहसीलदार द्वारा किया गया भूमि का अनियमित पट्टा

*4--श्री जसवीर सिंह (जिला एटा) तथा श्री माधव (जिला एटा)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12 जनवरी, 1979 का मंत्री को व जिलाधिकारी मैनपुरी को ग्राम सभा खेरिया शिकमी गोहाना, तहसील जसराना, जनपद मैनपुरी के भूतपूर्व प्रधान ने धोखा देही से पट्टे लिखकर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार जसराना के यहां दिनांक 16 नवम्बर, 1970 को व दिनाँक 20-5-71 को तस्दीक कराये हैं, और अभिलेख पट्टा बही 57-क व 57-ख छिपाया जा रहा है, के सन्दर्भ में प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की गई, तो क्यों !

श्री नारायण सिंह--

जी हां । मामले में जांच कराई गई जिससे प्रकट हुआ है कि भूतपूर्व प्रधान ने भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पारित प्रस्ताव में उल्लिखित गाटा एवं क्षेत्रफल से भिन्न गाटों एवं क्षेत्रफल पट्टों में लिखकर रजिस्टर इकरारनामा वर्ष 1970 व 1971 पर

तसदीक कराये हैं, जिसके लिये भूतपूर्व प्रधान, श्री एदल सिंह तथा पट्टा तसदीक करने वाले नायब तहसीलदार दोषी पाये गये हैं । भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । नायब तहसीलदार का स्थानान्तरण जिले के बाहर हो चुका है और इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी ने राजस्व परिषद् को लिखा है ।

श्री जसवीर सिंह--

जैसा माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि भूतपूर्व ग्राम प्रधान ने धोखाधड़ी से और नायब तहसीलदार की साजिश से यह कार्यवाही की गयी, तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कार्यवाही का प्रकार क्या है और अब तक कौन से ठोस कदम उठा लिए गये हैं ?

श्री नारायण सिंह--

12-1-1979 को प्रार्थना-पत्र मिला । उसके पहले इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी । प्रार्थना-पत्र मिलने के बाद ही यह जानकारी हुई । वह प्रधान मौके पर नहीं है । उसका डिसमिसिल और रेमूवल ही हो सकता है ।

श्री जसवीर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग दोषी पाये गये उनके खिलाफ पुलिस में विवेचना के बाद कोई कार्यवाही की गयी । कोई एफ० आई० आर० लिखायी गयी ?

श्री नारायण सिंह--

एफ० आई० आर० की मुझे निश्चित जानकारी नहीं है ।

श्री जसवीर सिंह--

जब शासन यह मानता है कि वे दोषी व्यक्ति हैं, तो उनके खिलाफ कोई चार्ज शीट लगायी गयी या नहीं ? क्या कार्यवाही की गयी है, मैं स्पेसिफिक रूप से जानना चाहता हूं । उनके यहां कुर्की हुई या नहीं ?

श्री उप व्यक्ष--

यह तो उन्होंने बतला दिया कि एफ० आई० आर० की सूचना उनके पास नहीं है । जो उत्तर दिया है उसमें साफ कर दिया है कि भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उस प्रधान के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, लेकिन कार्यवाही की जा सकती है। परगनाधिकारी को पूरा अधिकार है । वह उनको मुअत्तल कर सकता है और नौकरी से अलाहिदा करने की कार्यवाही भी कर सकता है ।

श्री जसवीर सिंह--

आई० पी० सी० के अन्तर्गत चाहे भूतपूर्व प्रधान हो या वर्तमान प्रधान हो, जिसने अपराध किया है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है । यह मामला उस प्रधान के कार्य काल का है, जो जाल-साज है, वह उसके जमाने की है तो मैं जानना चाहता हूं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह---

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री जसबीर सिंह---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । आपसे अनुरोध है कि आप माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर दिलवायें ।

श्री उपाध्यक्ष---

मंत्री जी क्या आपके पास एफ0 आई0 आर0 की नकल है ? अगर हो, तो बता दें ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, उत्तर भी अधूरा है।

श्री नारायण सिंह---

मेरी जानकारी में नहीं है कि एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई है अथवा नहीं। यह एदल सिंह प्रधान के चचाजात भाई हैं । चार्ज एक भाई से दूसरे भाई ने लिया। उन्होंने उसकी सूचना नहीं दी । जब इस बारे में प्रार्थना-पत्र दिये गये तभी उसकी जानकारी हुई ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री जसवीर सिंह---

मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं आया इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रश्न का स्थापित कर दें या माननीय मन्त्री जी आश्वासन दें कि कार्यवाही की जायेगी। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है । जो कुछ कहना हो आप लिख कर भेज दें ।

बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज के बाढ़ पीड़ितों में गेहूं का आवंटन

*5---श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)---

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की तहसील डुमरियागंज में गत बाढ़ के दिनों में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बाटने में जिला अधिकारी, बस्ती के आदेश दिनांक 22 जुलाई, 1978 एवं 27 जुलाई, 1978 का उल्लघंन करके स्थानीय अधिकारी ने अपने मन से मात्रा निर्धारित करके बाढ़ सहायता में गेहूं बंटवाया जिसके कारण गरीब लोगों को कम मात्रा में सहायता प्राप्त हुयी ? यदि हां, तो जिलाधिकारी, बस्ती के आदेश के विरुद्ध सहायता बांटने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री नारायण सिंह--

यह सही है कि डुमरियागंज तहसील में अहेतुक सहायता के रूप में गेहूं की मात्रा जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 22-7-78 तथा 27-7-78 के विपरीत दी गई, परन्तु ऐसी गलती केवल 225 ग्रामों में हुई तथा शेष 53 ग्रामों में गेहूं की मात्रा जिलाधिकारी के उक्त आदेशों के अनुसार ही दी गई ।

उक्त आदेशों के प्रतिकूल वितरण प्रणाली अपनाने के सम्बन्ध में छानबीन की गई जिससे पता चला कि तत्कालीन तहसीलदार डुमरियागंज तथा बी० डी० ओ० खुनियांव व इटवां द्वारा ऐसा केवल भ्रमवश किया गया । चूंकि वितरण में किसी प्रकार की बदनियती नहीं पाई गयी । अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं समझा गया ।

*6--श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

[4-5-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित ।]

*7--श्री माधव--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जालौन जिले के स्टाम्प वेन्डर्स द्वारा लाटरी टिकट की बिक्री

*8--श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने कोई ऐसे आदेश दिये हैं कि जिलों में स्टाम्प वेन्डर्स, स्टाम्प की कीमत के बराबर मूल्य के लाटरी टिकट दिये बगैर स्टाम्प न बेचें ? यदि नहीं, तो जनपद जालौन में ऐसा किस अधिकारी के आदेश से हो रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद जालौन में सरकारी विभागों में जबरन लाटरी टिकट बेचे जा रहे हैं ?

श्री मधुकर दिघे--

जी नहीं। सरकार ने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये हैं कि किसी भी स्थान में स्टाम्प वेन्डर्स स्टाम्पों की कीमत के बराबर मूल्य लाटरी टिकट भी बेचें । जनपद जालौन के सरकारी विभागों में भी लाटरी टिकट बेचने के कोई आदेश शासन द्वारा नहीं दिये गये हैं और न ही ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

*9-20--[नियम 47 (1) के अनुसार प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]

आगरा मन्डल के तहसीलदारों की दक्षतारोक

*21--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या यह सही है कि आगरा मन्डल के तत्कालीन कुछ तहसीलदारों को दक्षता रोक (ई० बी०) आयुक्त द्वारा सितम्बर, 1969 में पास किये जाने के बाद भी उक्त तहसीलदारों को आज तक उसका लाभ नहीं दिया गया और न उसके अनुसार वेतन निर्धारण हुआ । यदि ऐसा है तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*22--श्री जसवीर सिंह--

[4 थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

बांदा जिले में बाढ़ अनुदान के आवंटन के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट

*23--श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांदा जिले में बाढ़ अनुदान वितरण में भ्रष्टाचार का कोई केस किसी विधायक द्वारा 31 मार्च, 1979 को कोतवाली बांदा में लिखाया गया, यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां । यह बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली सहायता में कथित भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है ।

अतारांकित प्रश्न

वाराणसी जिले के हरिजनों को भूमि का आवंटन

1--श्री बेचूराम (जिला वाराणसी)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के कुल कितने गांवों में चकबन्दी ऐक्ट की धारा 52 का प्रकाशन कर दियां गया है तथा उनमें से कितने गांवों में हरिजनों को भूमि आबंटित की गई तथा कब्जा दिलाया गया है ।

श्री नारायण सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मथुरा जिले की सादाबाद तहसील में चकबन्दी

2--श्री हुकम चन्द तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के अन्तर्गत तहसील सादाबाद में कब चकबन्दी पूरी हुई तथा अब कब चकबन्दी नए सिरे से इस तहसील में करायी जायेगी ?

श्री नारायण सिंह--

मथुरा जनपद की तहसील सादाबाद में चकबन्दी वर्ष 1958 में पूरी हो गयी थी । वर्ष 1973 में 20 ग्राम जो पहले छूट गए थे कृषकों की मांग पर चकबन्दी में और लिए गए । जिनमें से 13 ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रियायें पूर्ण कराये जाने के उप-

रान्त जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 (1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति करा जा चुकी है। शेष 7 ग्रामों में चक निर्माण कार्य हो गया है तथा धारा 52 (1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति कराना अवशेष है।

इस तहसील में दुबारा चकबंदी का नम्बर, छठी पंचवर्षीय योजना काल में या उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में आने की सम्भावना है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के लेखों का आडिट

3--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के लेखों का आडिट कराने की क्या व्यवस्था है ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)--

समाज कल्याण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्राण्ट्स टू सोशल वेलफेयर इन्स्टीट्यूशन्स एण्ड अर्गेनाइजेसन्स रूल्स, 1969 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त संस्थाओं के लेखों का आडिट परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश से कराये जाने की व्यवस्था है और राज्य सरकार के माध्यम से जिन स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है उन संस्थाओं के लेखों का सम्परीक्षण अनुमोदित सम्परीक्षकों/ चाटर्ड एकाउण्टेट द्वारा कराया जाता है।

वाराणसी जिले में लेखपालों की सुपरवाइजर कानूनगों के पद पर पदोन्नति

4--श्री बेचूराम--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में 1978-79 में कुल कितने लेखपालों की पदोन्नति सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर की गयी ? क्या यह पदोन्नति वरिष्ठता क्रम में की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह--

प्रश्नगत अवधि में दो लेखपालों की अस्थायी पदोन्नति तदर्थ रूप से सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर की गयी। एक की अवकाश रिक्ति में छः सप्ताह के लिये तथा दूसरे की स्थानीय प्रोन्नति के कारण हुयी रिक्ति में। यह पदोन्नतियाँ प्रशासनिक आधार पर की गई।

5--श्री बेचूराम--

शुक्रवार के लिए स्थगित।]

वाराणसी जिले के लेखपालों की पदोन्नति में पिछड़े वर्ग का आरक्षण

6—श्री बेचूराम—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में 1978-79 में लेखपालों की पदोन्नति में पिछड़े वर्ग को 15 प्रतिशत आरक्षण दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां, दिया गया ।

तहसील सीतापुर में ओलावृष्टि

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1979 के अन्तिम सप्ताह में सीतापुर जिले की तहसील सीतापुर में हुई भीषण ओलावृष्टि से कितनी अनुमानित क्षति हुई तथा शासन द्वारा क्षतिग्रस्त ग्रामीणों को क्या राहत प्रदान की गयी ?

श्री नारायण सिंह—

जनपद सीतापुर की तहसील सदर सीतापुर में दिनांक 28-29 जनवरी, 1979 की रात्रि में हुई ओला वृष्टि से कुल 122 गांव प्रभावित हुये जिनकी 34,376 एकड़ रबी की फसल क्षतिग्रस्त हुई । प्राप्त सूचना के अनुसार इस क्षति का मूल्यांकन अनुमानतः एक करोड़ बहत्तर लाख रुपया है ।

उक्त ग्रामों में ओलावृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने हेतु, वहां की 6,26,942 रु0 मालगुजारी तथा 10,28,927 रु0 के अन्य कृषि देयों की वसूली स्थगित की गई । निःशुल्क सहायता के लिये पात्र व्यक्तियों को सहायता देने हेतु इस क्षेत्र में 25,000 रु0 अहेतुक सहायता, 200 कुन्तल गेहूं भेजा गया तथा ऐसे लोगों, जो अहेतुक सहायता की पात्रता की परिधि में नहीं आते थे, को भी राहत देने हेतु 98,000 रु0 की तकाबी दी गई । इसके अतिरिक्त तहसील सीतापुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 31 सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्यों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई ।

लखनऊ में जाली रेवेन्यू स्टाम्प छापने वाले गिरोह की गिरफ्तारी

8—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 अक्तूबर, 1978 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन लखनऊ में जाली रेवेन्यू स्टाम्प छापने वाले गिरोह को पकड़ा गया है ? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा उस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मधुकर दिघे--

जी हाँ । दिनांक 22-10-1978 को लखनऊ में जाली स्टाम्प छापने वाले कथित गिरोह को पकड़ा गया था ।

सर्वप्रथम दिनांक 7-8-78 को सहारनपुर में एक शपथ आयुक्त के समक्ष कुछ शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये । शपथ पत्रों में लगे स्टाम्पों के जाली होने का संदेह व्यक्त किये जाने पर इनकी जांच कराई गई और इन्हें जाली पाया गया, जिसके सम्बन्ध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर फैजाबाद के एक स्टाम्प विक्रेता को और तत्पश्चात् लखनऊ में कथित जाली स्टाम्प छापने व बेचने वाला गिरोह पकड़ा गया जिनके पास से जाली स्टाम्प एवं उनके मुद्रण की सामग्री बरामद की गई। सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये जा चुके हैं और इन अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही हैं ।

मथुरा जिले में प्रस्तावित सिनेमा-निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

9--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद में सन् 1978-79 में कितने नए सिनेमा-घर खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है? क्या यह सत्य है कि मथुरा नगर में नए सिनेमा खोलने के लिए नागरिकों की शिकायत प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उसकी जांच सिनेमा अधिकारी द्वारा की गई ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या थी और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री मधुकर दिघे--

जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा जनपद में वर्ष 1978-79 की अवधि में केवल एक सिनेमा-गृह को चलचित्र प्रदर्शन का लाइसेंस स्वीकृत किया गया है।

उक्त सिनेमा से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक अन्य सिनेमा खोलने का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध स्थानीय निवासियों का एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ । जांच मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा करवाई गयी । शिकायतें निम्न प्रकार थीं :--

(1) प्रस्तावित स्थल घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है ।

(2) बाड़े की प्रवेश सड़क कम चौड़ी है और सिनेमा खुलने से यातायात की समस्या उत्पन्न हो जायेगी ।

(3) सिनेमा खुलने से अवांछनीय तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(4) सिनेमा के सामने लड़कियों का एक स्कूल है ।

(5) प्रस्तावित स्थल के समीप एक अस्पताल है ।

(6) प्रस्तावित स्थल के सामने सड़क के पास गुरुद्वारा है।

(7) प्रस्तावित स्थल के समीप पेट्रोल पम्प एवं प्राइवेट बस स्टैण्ड है।

जांच अधिकारी के प्रस्तावित स्थल को सिनेमाटोग्राफ नियमों के अनुकूल एवं शिकायतों को निराधार पाया।

10—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

सिन्थेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लि0, बरेली की बिक्रीकर संबंधी रिट (याचिका)

11—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या वित्त मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सर्वश्री बरेली सिंथेटिक्स प्रा0 लि0 की रिट पेटीशन में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 23 सितम्बर, 1978 के अपने निर्णय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिक्री-कर अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित जांच चौकियों तथा उन पर वसूले जाने वाले अर्थ दण्ड को अवैध व असंवैधानिक घोषित करके उक्त फर्म से वसूले गए अर्थ दन्ड को ब्याज सहित लगभग डेढ़ लाख रुपया वापस दिलाया है ? यदि हां, तो माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय को ध्यान में रखकर और जनता पार्टी द्वारा बिक्री-कर को समाप्त करने के वादे को पूरा करने की दिशा में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री मधुकर दिघे—

उच्च न्यायालय ने सिन्थेटिक्स एंड केमिकल्स लि0, बरेली की रिट याचिका पर उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम की धारा 28-क, 28-ग, 28-घ तथा धारा 15-क (1) (ओ) को दिनांक 23-8-78 को अवैध घोषित किया था। उक्त व्यापारी ने दिनांक 2-4-75 के आदेश में लगाया गया अर्थ दन्ड जमा नहीं किया था और उसकी वसूली का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। अतएव उसको कोई राशि वापस करने का या उस पर ब्याज देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

12—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

[4थे शुक्रवार के लिए स्थगित]

श्री उदयनारायण लाल, मुख्य निबन्धन लिपिक, फर्रुखाबाद के लियन का स्थानान्तरण

13—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 1975 को निबन्धन महानिरीक्षक, इलाहाबाद ने मुख्य निबन्धन लिपिक फर्रुखाबाद का लीयन गोरखपुर स्थानान्तरित कर दिया गया था जो फन्डामेंटल रूल 14-बी के और फाइनेंशियल हैन्डबुक 2, पार्ट 2-4 के

विपरीत है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार फर्रुखाबाद के मुख्य निबन्धन लिपिक का लीयन गोरखपुर से वापस करके स्थायी करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

जी नहीं । वास्तविकता यह है कि वर्ष 1975 में तत्कालीन निबंधन महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 13–3–75 द्वारा श्री एस० पी० कटियार, तत्कालीन स्थायी मुख्य निबंधन लिपिक, फर्रुखाबाद के सेवा-निवृत्त होने के फलस्वरूप हुई शुद्ध रिक्त में श्री उदय नरायन लाल मुख्य निबंधन लिपिक, गोरखपुर का लियन स्थानान्तरित कर दिया था। शासन स्तर पर मामले का परीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि चूंकि लियन के स्थानान्तरण का अधिकार निबंधन महानिरीक्षक को नहीं था, और केवल शासन को ही था अतः तत्कालीन निबंधन महानिरीक्षक द्वारा लियन का उक्त स्थानान्तरण नियमानुकूल नहीं था । लियन हस्तान्तरण की कार्यवाही को नियमित करने की दृष्टि से शासन ने निबंधन महानिरीक्षक द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 13–3–1975 को आंशिक रूप में स्वीकार करते हुये वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड 2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 14–बी के अन्तर्गत दिनांक 14–8–78 को इस आशय का आदेश पारित किया कि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री उदय नरायन लाल का लियन मुख्य निबंधन लिपिक, गोरखपुर के पद से मुख्य निबंधन लिपिक, फर्रुखाबाद के पद पर स्थानान्तरित किया जाय ।

वर्णित स्थिति में मुख्य निबंधन लिपिक फर्रुखाबाद का लियन गोरखपुर से वापस करके स्थायी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

14—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

[5 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सहारनपुर जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा जाली रेवेन्यू स्टाम्प के सम्बन्ध में लिखायी गयी रिपोर्ट

15—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद सहारनपुर में 7 अगस्त, 1978 को स्टाम्प जालसाजी की प्रथम कार्यवाही किस अधिकारी द्वारा की गयी और अब तक की विवेचना के आधार पर जाली स्टाम्पों की कितने रुपए की बिक्री हो चुकी है तथा कितने रुपए की कीमत के जाली स्टाम्प पकड़े गए हैं ? किस अधिकारी द्वारा इस जालसाजी स्टाम्पों की प्रथम पहल की गई थी, क्या सरकार उसको सम्मानित करेगी ?

श्री मधुकर दिघे—

दिनांक 7 अगस्त, 1978 को श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा, शपथ आयुक्त, सहारनपुर के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत हुये थे जिनमें प्रयुक्त स्टाम्पों के जाली होने का संदेह

व्यक्त किये जाने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर, श्री डी० एल० सोनी, द्वारा जांच कराई गई तथा स्टाम्पों के जाली पाये जाने पर उन्ही के द्वारा इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई। अब तक की जांच से जाली स्टाम्पों की बिक्री का अनुमान नहीं लगाया जा सका है परन्तु 94 रुपये के जाली स्टाम्प सहारनपुर के स्टाम्प विक्रेताओं से 64 रुपए के जाली स्टाम्प गाजियाबाद से, 1300 रुपये के जाली स्टाम्प लखनऊ स्थित एक प्रेस से, तथा 3,770 रुपये की 1,800 रुपये के जाली स्टाम्प लखनऊ के दो स्टाम्प विक्रेताओं से बरामद किये गये थे। जाली स्टाम्पों के सम्बन्ध में प्रथम कार्यवाही करने वाले अधिकारी को सम्मानित करने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

फतेहपुर जिले के ग्राम मिराई, खरौली आदि को कानपुर जिले में मिलाने का प्रस्ताव

16—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि फतेहपुर जनपद, तहसील बिन्दकी, उत्तरी क्षेत्र के ग्राम मिराई, खरौली, पारसदेपुर, कानपुर जनपद के तहसील घाटमपुर में मिलाए जाने हेतु जिलाधिकारी, फतेहपुर ने शासन के पास कोई प्रस्ताव भेजा है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री नारायण सिंह—

जी हां, जिलाधिकारी, फतेहपुर का प्रस्ताव राजस्व परिषद् के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ है जो अभी शासन के विचाराधीन है।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल आपने कहा था कि मैं कल मौका दूंगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय मैं इजाजत नहीं देता। पहले नियम 301 की जो सूचनायें हैं उनको ले लूं।

छितवापुर चौकी, लखनऊ के सामने स्थित मुसलमानों के कब्रिस्तान की खुदाई से उत्पन्न स्थित के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन से संज्ञान में लाना

श्री उपाध्यक्ष—

जो भाग मैंने काट दिया है उसको आप न पढ़ें।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

विधान सभा मार्ग छितवापुर चौकी के सामने मुसलमानों का एक कब्रिस्तान है। सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड का कहना है कि यह जमीन वक्फ को सन् 1898 में सरकार से

छितवापुर चौकी, लखनऊ के सामने स्थित मुसलमानों के कब्रिस्तान की खुदाई से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन से संज्ञान में लाना

मिली थी और जब से वक्फ बोर्ड इस पर काबिज है। 15-20 पुरानी कब्रें दिखाई देती हैं। बहुत सी मलबे में दबी पड़ी हैं। मालूम होना चाहिए कि यह पुरानी जमीन कब्रिस्तान है जहां कब्रों के निशान दिखाई नहीं देते वहां भी मुर्दे दफन हैं। यहां एक मस्जिद भी बनी हुयी है और मस्जिद के इर्द गिर्द कुछ गरीब मुसलमान झोपड़ी में रह रहे है। जनता सरकार ने संजय गांधी व इन्दिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ अभियान रोका नहीं है। यह जमीन और इस तरह के कब्रिस्तान और उनकी देखभाल करना सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड का काम है। सरकार के अधीन चलाने वाला यह इरादा जो जिम्मेदारियों से हट कर सरकारी तेवर देखकर काम करता है।

नगर महापालिका तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण कब्रों को खोदने पर तुले हैं जिससे इस इलाके के अल्प संख्यकों तथा दूसरे लोगों में काफी गुस्सा पाया जाता है। 11-5-79 को एक मंदिर की दीवार तथा मकान पुलिस, पी० ए० सी० का लोगों को भय दिखाकर एल० डी० ए० गिरा चुका है।

हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारी जिन्दगी से तो खिलवाड़ हो रहा है, मेहरबानी करके मुर्दों को कब्रों से उखाड़ कर बाहर फेंकने की जहमत न करें वर्ना यह इलाका आंधियों और तूफान की लपेट में आकर महलों का कब्रिस्तान बन जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---

जो भाग मैंने काट दिया था वह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा।

मीराबाई मार्ग, लखनऊ स्थित आफिसर्स निवास में रहने वाले पत्रकारों को किस्तें न अदा करने पर पानी तथा बिजली की सुविधा समाप्त किए जाने सम्बन्धी नोटिस के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

---

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, आपके माध्यम से आदरणीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि मीराबाई मार्ग, लखनऊ स्थित आफीसर्स निवास में रहने वाले कई वरिष्ठ पत्रकारों को राज्य सम्पत्ति अधिकारी द्वारा इस आशय का नोटिस जारी कर दिया गया है कि यदि उन्होंने किस्तें न अदा कीं तो 10 दिन के भीतर पानी तथा बिजली की सुविधा समाप्त कर दी जायगी अर्थात् कनेक्शन काट दिये जायेंगे। ये नोटिसें उन पत्रकारों को भी दी गयी हैं जो कि विधिवत् अपनी मासिक किस्तें जमा करते आये हैं।

दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस भीषण गर्मी में पानी तथा बिजली समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मान्यवर, किराये का विवाद था परन्तु माननीय वित्त मन्त्री की मध्यस्तता से 200 रुपये प्रति मास की किस्त देने का निर्णय हुआ था, जिसे पत्रकारगण अदा कर रहे हैं।

---

*सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

माननीय, मकान खाली कराने की कार्यवाही तो नियमों के अधीन की जा सकती है हालांकि यहां उसका भी प्रश्न नहीं उठता परन्तु अनिवार्य आवश्यक सुविधाओं से किसी भी दशा में वंचित नहीं किया जाना चाहिए यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक का अभिमत है ।

अतएव इस तथ्य को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं माननीय मुख्य मन्त्री से आशा करता हूं कि वह संबंधित मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप करके पत्रकारों को राहत प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

कानपुर महानगर में पीलिया रोग के प्रकोप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर नगर)—

माननीय, कानपुर महानगर में पिछले कुछ दिनों जांडिस (पर्मोलिया) मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है । यहां तक कि घनी आबादी वाले इलाकों जैसे हरबंसमोहाल, गड़रिया मोहाल, मुसाटोली, शुतरखाना, धनकुटी कुलीबाजार, रेलबाजार, जाजमऊ आदि अनेक ऐसे मुहल्ल हैं, जहां ऐसा कोई परिवार नही जिसमें दो चार लोग पीलिया रोग से पीड़ित न हों । नगर के सभी अस्पतालों, प्राइवेट प्रेक्टिशनरों तथा नगर महापालिका द्वारा संचालित चिकित्सालयों में मरीजों की भारी भीड़ रहती है । एक मोटे अनुमान के अनुसार गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष पीलिया के मरीजों की संख्या लगभग 20 गुनी अधिक है ।

लाला लाजपतराय अस्पताल के डाक्टरों के अनुसार इन दिनों इंफेक्टिव हेमटाइटिस जो कि जांडिस की एक खतरनाक किस्म है, के औसतन चार से पांच मरीज प्रतिदिन इमरजेन्सी में आ रहे हैं । डाक्टरों का यह भी कहना है कि इस खतरनाक मर्ज के शिकार 75 प्रतिशत मरीजों की मृत्यु हो जाती है ।

कानपुर महानगर में उपर्युक्त खतरनाक बीमारी फैलने के दो मुख्य कारण हैं । पहला नगर में व्याप्त भीषण गन्दगी, कूड़े के ढेर, जाम सीवर तथा मैलायुक्त बहती हुई नालियां तथा दूसरा कारण है प्रदूषित जल । उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री राजकुमार के द्वारा प्रकाशित एक प्रेस वक्तव्य के अनुसार उत्तर प्रदेश के सभी बड़े नगरों में आपूर्ति किया जा रहा पेयजल स्वास्थ्य के स्तर का नहीं है । किन्तु प्रदेश में जल प्रदूषण के मामले में कानपुर का सर्वोच्च स्थान है ।

अतः माननीय उपाध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान कानपुर में फैले पीलिया रोग की महामारी की ओर आकर्षित करते हुए अनुरोध करता हूं कि वह इस रोग की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास करें, जिससे महानगर के सैकड़ों लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में आपके माध्यम से कानपुर के उन तमाम राजकीय तथा महापालिका अस्पतालों के डाक्टरों एवं कानपुर के इन्डियनमेडिकल एसोशियेशन के पदाधिकारी एवं सदस्य डाक्टरों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो सेवा भावना से इस रोग से ग्रसित मरीजों की जीवन रक्षा में लगे हुए हैं। मैं कानपुर नगर महापालिका की अकर्मण्यता की निन्दा भी करना चाहता हूं जो न तो शहर में सफाई रखने में और न लोगों को स्वच्छ पेयजल दे पाने में सफल हुए हैं।

सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक संघ (सिंचाई विभाग) का विधान भवन के सामने अनिश्चित कालीन क्रमिक अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*डा0 अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर देहात)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं।

15-5-79 से सहायक कृषि प्रसार निरीक्षक संघ (सिंचाई विभाग), उत्तर प्रदेश का अनिश्चित कालीन क्रमिक अनशन विधान सभा के संमुख चल रहा है जो आज चौथा दिन है। आपात काल में 1250 स0 कृ0 प्र० नि० निकाले गये थे वही इनके अधिकारियों को कृषि विभाग में पदोन्नत कर दिया तथा उक्त लोगों को जो कृषि स्नातक तथा कृषि स्नातकोत्तर 80 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत हाई स्कूल कृषि डिप्लोमा तथा इन्टर कृषि हैं, को पदावनत कर ग्रुप चतुर्थ के पद पर कार्य कराया जा रहा है। आपात् काल में उक्त लोगों को कृषि विभाग में खपाने के आदेश भी हुये जिनका साक्षात्कार भी 20-12-76 को हुआ, उसके बावजूद भी मामला आज तक अधर में लटका हुआ है। 3-9-77 को भू0 पू0 सिंचाई मंत्री तथा वर्तमान सिंचाई मन्त्री श्री राजेन्द्र सिंह 9-4-79 को सैद्धान्तिक रूप से इनकी मांग मानी परन्तु आज तक इन्हें खपाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। इनके संघ की मांग है—'आपात्काल के छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों को सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुये इनके आपात् काल के पूर्व 230-385 के वेतनमान के समकक्षीय पदों पर किसी भी विभाग में समायोजित करने के शासनादेश किये जायें।'

स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में डाक्टरों तथा नर्सों की लापरवाही से 17 व्यक्तियों की मृत्यु के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद में स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल जो कि मेडिकल कालेज के तहत है दिनांक 27 अप्रैल, 1979 से 30 अप्रैल, 1979 के बीच में करीब 17 मरीजों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश—]

की मृत्यु रोग के उपचार एवं अपेक्षित चिकित्सा के अभाव में हुई । दिनांक 27 अप्रैल, 1979 को डा0 आर0 एम0 गोयल, आर0 एम0 ओ0 द्वारा नर्स को पीटा गया जिसके फलस्वरूप तमाम नर्सों ने काम करना बन्द कर दिया, 28 अप्रैल को यह झगड़ा और बढ़ा और 30 अप्रैल तक अस्पताल के किसी भी चिकित्सक एवं नर्स ने मरीजों की देखभाल और आवश्यक चिकित्सा नहीं की । ऐसा लगता था कि जैसे अस्पताल एक लावारिश शमशानघाट बन गया है । गम्भीर रोग से पीड़ित कई मरीज जिन्हें ग्लूकोज की जरूरत थी, सुई की जरूरत थी, जिन्हें थर्मामीटर लगाकर बुखार की जानकारी करनी थी, पट्टी बंधवानी थी, असहाय होकर कराहते रहे और दयनीय हालत में दवाओं के अभाव में तरसते रहे । किन्तु कोई भी नर्स अथवा डाक्टर उनकी देख भाल करने वाला नहीं था ।

मुझे यह निश्चित जानकारी इलाहाबाद के जनता पार्टी के नेता श्री हृदय नारायण शुक्ल ने निजी तौर पर दी है कि 27 अप्रैल से 30 अप्रैल बीच में स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में नर्सों एवं डाक्टरों द्वारा उचित चिकित्सा न किये जाने तथा अपेक्षित दवाई न दिये जाने के फलस्वरूप 17 मरीजों की असामयिक मृत्यु हो गयी और आपात्काल के रोगी जिन्हें चोट लगी थी, गोली लगी थी, दुर्घटना में हाथ–पैर टूटा था तथा अन्य गम्भीर रोग से ग्रसित थे, उपचार के अभाव में अस्पताल छोड़कर भाग गये ।

मान्यवर, यह एक अत्यन्त ही दर्दनाक, हृदय विदारक एवं जनजीवन से खिलवाड़ करने वाली घटना है जो यकीनन स्वास्थ्य मंत्रालय के लिये शर्मनाक है । इस पूरे मामले की उच्चस्तर पर जांच होनी चाहिए, जिन लोगों की मृत्यु महज दवा के अभाव में हुई है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और जिन्होंने मरीजों की उपेक्षा की है उन्हें कठोर दण्ड देना चाहिए और स्वास्थ्य मंत्री को इस शर्मनाक घटना के लिए अस्पताल के मरीजों तथा प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए ।

मत्स्य विभाग हमीरपुर की उदासीनता से केवटों में क्षोभ के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मत्स्य विभाग हमीरपुर की उदासीनता से हजारों केवटों में क्षोभ से संबंधित अविलंबनीय लोकहित के मसले को सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं ।

महोदय, चरखारी, जनपद हमीरपुर में सहायक मत्स्य निदेशक का कार्यालय बिलकुल उदासीन उपेक्षायुक्त व बेकार सा तथा चन्द लोगों का चरागाह बना है । मेरे विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर में 30 हजार के करीब केवट, जो मछली से ही रोजी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मत्स्य विभाग हमीरपुर की उदासीनता से केवटों में क्षोभ के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

कमाते हैं के भले के लिये इसमें कुछ नहीं किया, कई बार मांग की गयी कि हमीरपुर में भी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर आदि रखें, सघन छानबीन व विकास के प्रयास हों, पर सब बेकार रहा, कुछ चालाक लोगों से साठगांठ करके सारा धन खाया जा रहा है। हमीरपुर क्षेत्र में 2–3 तालाबों को पक्का कराने, खुदाने का निर्णय भी मनमानी है। ये ऐसे स्थल हैं जो धार्मिक हैं वहां मछली मारने, पालने की कतई अनुमति जनता न देगी, झलोखर, शेखूपुर, इंगोहटा ऐसे ही हैं, फिर भी विभाग लाखों रुपये खर्च कर रहा है जब कि केवट बाहुल्य गांवों, गोकुल पुरवा, पतारा, बचरौली, कुसमरा, पत्यौरा, बड़ागांव, पारा, मुंगेरा, मौहर कथी आदि में तालाबों हेतु व अन्य कोई योजना नहीं प्रारम्भ की इस लापरवाही से क्षुब्ध हजारों केवट आन्दोलन करने पर उतारू हैं।

अतः मांग करता हूं कि शीघ्र प्रभावी जांच की जाय। मत्स्य विभाग की धांधली रोकते हुए हमीरपुर क्षेत्र के उक्त केवट बाहुल्य इलाकों में जनहित में सघन कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।

जनपद बलिया की तहसील बांसडीह के अन्तर्गत ग्राम पर्वतपुर (जयनगर) में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

महोदय, दिनांक 4–5–79 को दो बजे दिन में ग्राम पर्वतपुर (जयनगर), तहसील बांसडीह, जनपद बलिया में भीषण अग्नि काण्ड से पूरा गांव जल कर राख हो गया है। कई लाख रुपये की धन की क्षति हुई है। गांव के लोगों के सभी मकान, अन्न तथा घर में जो कुछ सामान था वह जल गया है वहां के लोगों के सामने मनुष्यों के भोजन, पहनने का वस्त्र, रहने के लिए छप्पर एवं पीने के लिए पानी तथा मवेशियों के लिए चारे की भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस गांव के लोगों को सरकार के द्वारा जल्द से जल्द राहत की व्यवस्था उदाहरण के लिए भोजन, पहनने को वस्त्र, रहने के लिए छज्जा, पीने के लिए पानी तथा मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था की जांय तथा सभी प्रकार की वसूली माफ किया जाय।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल कम्पनी द्वारा उत्तराखण्ड में रज्जुमार्ग (रोपवे) लगाने में उदासीनता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चिमोली)—

मान्यवर, उत्तराखण्ड में सर्वोत्मुखी प्रगति एवं वहां पर्यटन उद्योग को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने हेतु पर्वतीय विकास निगम की स्थापना की गयी। उस समय इस क्षेत्र में कुछ रज्जुमार्ग (रोपवे) लगाने का निर्णय शासन के सुझाव पर पर्वतीय विकास निगम द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—]

लिया गया। रज्जु मार्ग को लगाने हेतु त्रिवेणी स्ट्रक्चरल कम्पनी से एक समझौता किया गया और अग्रिम धनराशि के रूप में 90 लाख रुपया उक्त कार्य हेतु कम्पनी को दिया गया। इस अग्रिम धनराशि को दिये हुए चार साल हो गये हैं। गढ़वाल विकास निगम के गठन के बाद इस अग्रिम धनराशि का दायित्व पर्वतीय विकास निगम से गढ़वाल मण्डल विकास मण्डल को मिला।

गढ़वाल विकास निगम द्वारा इस क्षेत्र में रज्जु मार्गों के निर्माण की दिशा में बहुत कम काम किया गया। कांग्रेस सरकार के भूतपूर्व मंत्री श्री नारायण दत्त जी तिवारी द्वारा एक रज्जु मार्ग का शिलान्यास भी किया गया था। किन्तु उसे भी अब शीत भण्डार के हवाले किया गया हैं। स्पष्ट स्थिति यह है कि बड़े अधिकारी त्रिवेणी स्ट्रक्चरल के साथ मिले हुए हैं और 90 लाख रुपये की विशाल धनराशि से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ में साझीदार हो गये हैं। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल द्वारा रज्जु मार्ग के निर्माण में किसी प्रकार का कोई उत्साह दिखलाई नहीं दे रहा है। मेरा शासन से निवेदन है कि इस विशाल धनराशि की जांच हेतु तुरन्त आदेश दे दिये जायें और सम्पूर्ण स्थिति से इस सदन को अवगत कराने की कृपा की जाये।

गोरखपुर जनपद के खड़खड़िया, कोइलाज इत्यादि ग्रामों में अग्नि काण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना।

*श्री श्याम नारायन तिवारी (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जनपद के फरेन्दा तहसील के ग्राम खड़खड़िया में कुछ दिन पहले आग लग जाने से वहां की सारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी। यह गांव राप्ती नदी के कछार पर बसा है। पिछले वर्ष बाढ़ से सब कुछ नष्ट हो चुका था। सभी मकान गिर गये तथा क्षतिग्रस्त थे, 33 मकान तो नदी के पेट में चले गये। इस फसल में जो कुछ हुआ वह भी आग में जाता रहा। सहायता के नाम पर कुछ किलो गेहूं वहां गया। इसी तरह कुछ ही दिनों पहले लगे हुए गांव की इलाज को पूरी हरिजन बस्ती जल कर नष्ट हो गयी। खलिहान भी जल गया। यह गांव भी बाढ़ क्षेत्र में है। कुछ अनाज वहां भी बाँटा गया। सरकारी सहायता के नाम पर जो कुछ मिलता है वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। नियम के अनुसार जिनके पास एक एकड़ से कम जमीन है उन्हें एक सौ रुपया बहुत मुश्किल से मिल सकता है। पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखा, बाढ़ एवं आग से ग्रस्त यहां के किसान नाजायज के इस सरकारी सहायता से जिन्दा रह नहीं सकते।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आपस में बातें न करें ।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

इस भयंकर गर्मी में ये लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं । ग्राम परसाबेनी, गुजरवालिया सहजनवा की भी यही हालत है पूरी हरिजन आबादी जलकर नष्ट हो गयी । ऐसी स्थिति में श्रीमन् आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर राज्य सरकार एवं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि तत्काल इन गांवों को पूर्ण सहायता प्रदान की जाए । लकड़ी दिलायी जाये । कपड़ा व तकाबी बांटी जाये । यह भी आशा करता हूं कि श्रीमन्, आप इस प्रश्न पर सहायता संविधि नियमों में समयानुकूल परिवर्तन के प्रश्न पर राज्य सरकार को निर्देश करें । अन्त में हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाये । श्रीमन्, आप राज्य सरकार से ऐसा आश्वासन दिलवाने की कृपा करें । मैं चाहूंगा कि यहां पर राजस्व मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री जी हैं उन्हें आप . . .

श्री उपाध्यक्ष—

राजस्व मन्त्री जी इस पर ध्यान दें।

गंगा नहर डिवीजन मुजफ्फरनगर में जिलेदारी चरथावल व शाहपुर में फर्जी सींच का रकबा बढ़ाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :—

गंगा नहर डिवीजन मुजफ्फरनगर में जिलेदारी चरथावल व शाहपुर में करीब 16 हजार एकड़ रकबा बिना सींच का फर्जी बढ़वाया गया है जिससे किसानों पर करीब 80 हजार रु0 का अतिरिक्त बोझ पड़ा है जबकि यहां का किसान ओले और पिछली बृष्टि से प्रभावित जिसका सबूत आबपाशी के खसरों से पैमाइश के बाद बढ़ाने से मिलता है जो रकबा तोड़ सींच का है वह रकबा बढ़ाने की वजह से डाल कर दिया है । यह खसरे दुबारा अलग से बनाये हैं जो साफ जाहिर है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कर दन्डित करने की कृपा करें ताकि कृषकों को राहत मिल सके ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपात कालीन स्थिति के दौरान परिवहन विभाग के सेवा से मुक्त किए गए चालकों एवं परिचालकों को सेवा में पुनः लिए जाने की मांग को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ।

*श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, उ0 प्र0 राजकीय परिवहन विभाग के अनेकों चालक एवं परिचालक आपात कालीन स्थिति के दौरान सेवा से पृथक कर दिये गये थे । बिना नोटिस एवं बिना ठोस आरोप के निकाले गये ये कर्मचारी तब से अब तक दर-दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं । लगभग 60 कर्मचारी शासन का ध्यान आकर्षित करने हेतु चलाये गये आंदोलन में 6-6 महीने तक की जेल भी काट चुके हैं । इन निष्कासित कर्मचारियों के परिवारों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है । शासन और प्रशासन की चक्की के बीच पिसने वाले इन कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करते हुये लगभग 100 विधायकों ने बहाली हेतु अपनी संस्तुतियां भी की हैं ।

निष्कासित चालकों एवं परिचालकों की सोचनीय स्थिति की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुये उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाने तथा शासन की नीति स्पष्ट करने की मांग करता हूं ।

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी बैठे हुये हैं अगर आप उनसे वक्तव्य दिलवा दें तो ज्यादा बेहतर होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर उनके पास इस समय जानकारी हो तो वह इस समय भी कह सकते हैं ।

*परिवहन मंत्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पहले ही आदेश दिये जा चुके हैं और जिनका कार्यान्वयन होना भी प्रारम्भ हो चुका है । जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि एक वर्ष पूरी हो चुकी थी और उनको अगर बिना नोटिस दिये निकाल दिया गया है तो ऐसे कर्मचारियों को पुनः वापस ले लिया जाये, इस प्रकार के मैंने आदेश दे दिये हैं । 26 जून, 1975 से लेकर 23-24 मार्च, 1977 तक के ऐसे सभी कर्मचारियों को वापस लेने के आदेश दे दिये गये हैं, जिन्हें बिना नोटिस के निकाल दिया गया था ।

नियम 301 की सूचनाओं को संक्षेप में देने का श्री उपाध्यक्ष का निर्देश

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 301 के बारे में अभी सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श हुआ था तो यह निश्चय किया गया था कि जो माननीय सदस्य सूचना देते हैं, उसमें 200 शब्द से अधिक न हों, इसका वे ध्यान रखें । इस सम्बन्ध में हमारी ओर से प्रपत्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जारी होगा, वह आपको शीघ्र ही मिल जायेगा। माननीय सदस्य यह ध्यान रखें कि सूचनायें बड़ी न होने पायें। कई सूचनायें ऐसी थीं जो दो-दो पेजों की थीं और आवश्यक भी थीं। परन्तु बहुत बड़ी होने के कारण उन्हें अस्वीकार करना पड़ा।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में दंगे पर चर्चा के अवसर पर मुख्य मंत्री द्वारा कही गई बातों पर श्री फलुलबारी द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने हेतु समय की मांग

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—मैं मा० मुख्य मंत्री जी के कल के वक्तव्य के बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यदि आप अपनी व्यक्तिगत सफाई देना चाहते हैं तो ठीक है। उस घटना पर न जायें।

श्री फजलुलबारी—

घटना के बारे में नही कहने जा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल अपने बयान में मेरा दो बार नाम लिया था। अलीगढ़ मुस्लिम युनीवर्सिटी में जो यह घटना हुयी वह बहुत ही शर्मनाक है। मा० मुख्य मन्त्री जी ने इसके लिए लड़कों को जो गलत इलजाम दिया है इस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता था कि कल ही.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका जो जिक्र आया है उसके सम्बन्ध में जो आप सफाई देना चाहते हैं, वह दें, उस मामले का जिक्र न करें।

श्री फजलुलबारी—

मैं यह कह रहा था कि वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुस्लिम युनिवर्सिटी से होस्टाइल है। स्टूडेन्ट्स के सिलसिले में उसने कोई सतर्कता नहीं बर्ती। उसने साम्प्रदायिक तत्वों को इस बात का मौका दिया कि वह मासूम लड़के, जो युनिवर्सिटी के अंदर कभी भी इस तरह की भावनाओं से उत्तेजित नहीं होते थे, उनको कांग्रेस (आई) मुस्लिम लीग और विद्यार्थी परिषद के एजेंट्स ने इस तरह उत्तेजित किया, गालिबन उन्हीं लोगों की वजह से यह हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये। मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है मैं उसे पढ़े देता हूं।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय इजाजत नहीं है ।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं यह कहना चाहता हूं कि कल अलीगढ़ के संबंध में मुख्य मंत्री ऐसे बोल रहे थे जैसा अटल बिहारी और अडवानी भी नहीं कह सकते ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, मैं इस व्यवस्था के प्रश्न की इजाजत नहीं देता हूं आप बैठें ।

श्री मन्जूर अहमद—[***]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । (शोर)

श्री मन्जूर अहमद—[***]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा । (शोर)

श्री मन्जूर अहमद—

पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

बारी साहब ने कहा कि हमारी गरदन शर्म से झुक जाती है ।

श्री मन्जूर अहमद—

मुख्य मंत्री डी० एम० को सस्पेंड करें ।

श्री उपाध्यक्ष —

आप बैठिये ।

नोट :—[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मन्जूर अहमद---[* * *]

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिए । यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं।

एक सदस्य मुख्य---

मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वह सही कहा है ।

श्री मन्जूर अहमद---

आप मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे मजबूर होकर आपको इंगित करना पड़ेगा ।

(श्री मंजूर अहमद बैठ गये) ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---(जिला बहराइच)---

कल मुख्य मन्त्री जी ने अलीगढ़ के मामले में अपना बयान दिया था । उसमें फजलुल बारी का नाम आया था । आपने आज्ञा दी थी कि आप अपना स्पष्टीकरण दें तो उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई आरोप मुख्य मन्त्री ने नहीं लगाया है । आपने इस पर कहा कि कोई प्रश्न नहीं उठता । तो जिस पर आप निर्णय दे चुके हैं, दोबारा उसी बात का स्पष्टीकरण देने के लिये किस प्रकार से अवसर दिया जा रहा है । आप अवसर नहीं दे सकते हैं इसलिये कि उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठिये । आज मैंने कार्यवाही देख ली है । उससे ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपके चरित्र के ऊपर आक्षेप आता हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

किस सम्बन्ध में है, आप हमको बता तो दें ? मैंने कहा कि कल मैंने कार्यवाही नहीं देखी थी । आज मैंने कार्यवाही देख ली है । इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है । मुख्य मन्त्री ने कोई ऐसी बात नहीं कही, जो उनके ऊपर आक्षेप आता हो ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, इसी संबंध में मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गय प्रक्रिया संबंधी करण [चतुर्थसंस्करण] के पृष्ठ 50 को देखने की कृपा करें

नोटः---[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

जिसके अनुसार सदन के सभी काम नियमानुसार होने चाहिये। मुख्य मन्त्री ने कल बयान दिया और उसमें कहा कि यदि माननीय सदस्य को त्रुटि प्रतीत होती है तो उसको उठाने की प्रक्रिया दी है।

श्री देव बहादुर सिंह---

(जिला नैनीताल)---मान्यवर, आपने निर्णय दे दिया है तो फिर आप उनको क्यों बुला रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं अभी यही कह रहा हूं कि श्री फजलुलबारी को मौका नहीं देना चाहिए। मैं आपके निर्णय से सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग बैठ जायं। अब मैं दूसरा विषय ले रहा हूं।

वित्त मन्त्री श्री मधुकर दिघे के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---

माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने 7 मई, 1979 को माननीय वित्त मन्त्री श्री मधुकर दिघे के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक हिन्दी "अमृत प्रभात" तथा अंग्रेजी "नार्दन इंडिया पत्रिका" के दिनांक 2 मई, 1979 के अंकों में बजट के कुछ प्रस्ताव प्रकाशित हो गये हैं और बजट में घाटा होने का प्रश्न भी लीक हो गया है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त का कहना है कि बजट लीक हो जाने से विशेषाधिकार अवहेलना हुई है।

मैंने इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी। उन्होंने दिनांक 17 मई, 1979 को प्राप्त अपने पत्र में यह सूचित किया है कि शासन की ओर से किसी प्रकार की कोई भी सूचना समाचार-पत्रों में नहीं दी गई। दैनिक "अमृत प्रभात" में प्रकाशित समाचार का विश्लेषण करते हुये माननीय मन्त्री ने अपने स्पष्टीकरण में उसमें प्रकाशित समाचार को अनुमान पर आधारित बताया है और यह भी कहा है कि उक्त समाचार-पत्र में राज्य के बजट में 60-70 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने के लिये नये कर लगाने की बात कही गयी है, जो प्रस्तुत किये गये बजट के अनुसार सही नहीं है। अन्त में माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा है कि उक्त समाचार-पत्र में जो समाचार प्रकाशित हुआ है, उसके द्वारा किसी भी कर सम्बन्धी प्रस्ताव का रहस्योद्घाटन नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार से बजट की गोपनीयता भंग हुई है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष की व्यवस्थाओं के संकलन (1952 से 1967) के पृष्ठ 527 पर निर्णय संख्या 96 तथा लोक सभा में इस सम्बन्ध में

दिये गये निर्णय एवं संसदीय परम्पराओं के अनुसार आय-व्ययक की गोपनीयता भंग होने से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बन सकता। इस सम्बन्ध में मैंने भी दिनांक 20 मार्च, 1979 को इसी आशय का एक निर्णय दिया था।

अतएव, माननीय वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण तथा उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा दी गयी सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां, सदस्य विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री ने 10 मई, 1979 को सदन में दादरी स्टेशन पर होने वाले दंगे के सम्बन्ध में उनके भाषण के उत्तर में कहा कि श्री आतिफ ने जो भाषण दिया वह राष्ट्र विरोधी मनोवृत्ति का परिचायक है। माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने उन्हें राष्ट्र विरोधी कहकर उनके सम्मान को गिराने की कोशिश की है तथा सदन को जानबूझ कर गुमराह करने का प्रयास किया है।

माननीय सदस्य की शिकायत का आधार माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 10 मई, 1979 को दिया गया भाषण है, किन्तु माननीय सदस्य ने अपनी शिकायत के साथ उक्त भाषण की कोई प्रतिलिपि संलग्न नहीं की है और इस प्रकार उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 64 की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया है।

माननीय मुख्यमंत्री का भाषण दिनांक 10 मई, 1979 को सदन में हुआ था और श्री आतिफ उस दिन सदन में मौजूद थे एवं चर्चा में भाग भी लिया था। उन्हें यह प्रश्न तत्काल उठाना चाहिये था। कल 17 मई, 1979 को भी श्री आतिफ ने औचित्य के प्रश्न के रूप में यह प्रश्न उठाना चाहा था, परन्तु विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाया था। अतः यह विलम्बित भी है। इसके अतिरिक्त श्री आतिफ ने ऐसे कोई आधार भी प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह समझा जा सके कि सदन को जानबूझकर गुमराह करने का प्रयास किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर) —

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री खान मोहम्मद आतिफ (जिला बहराइच)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे लिये कहा है कि इस तरह से तकरीर करता हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं, जो हमारा निर्णय हो चुका है, उस पर आप कुछ नहीं कह सकते ।

निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

श्री देव बहादुर सिंह, सदस्य विधान सभा ने निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ के विरुद्ध सदन के विशेषाधिकार भंग एवं अवमान की सूचना दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 मई, 1979 को रात्रि के 8 बजकर 25 मिनट पर आकाशवाणी के लखनऊ स्टेशन से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की कार्यवाही की समीक्षा के कार्यक्रम में जो प्रसारण किया गया, उसमें यह गलत तथ्य दिया गया कि श्री देव बहादुर सिंह अलीगढ़ काण्ड के संबंध में नेता विरोधी दल के बाद बोले और उन्होंने नेता विरोधी दल द्वारा कही हुई बातों को दोहराया ।

मैंने माननीय श्री देव बहादुर सिंह द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना की एक प्रतिलिपि निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु भेज दी है और उनसे यह जानकारी प्राप्त हो जाने के उपरान्त मैं इस प्रश्न पर अपना निर्णय दूंगा ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय--(क्रमागत)

श्री श्यामधर मिश्र--(जिला वाराणसी)

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि.....

श्री खान मोहम्मद आतिफ खाँ--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि...

श्री श्यामधर मिश्र--

या तो रिकार्ड देख लें कि कौन पहले बोला ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां--

मान्यवर, मेरा नाम है । मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि आतिफ साहब तकरीर करते हैं तो देशद्रोही जैसी बात करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां---

वह दुनियां थी जहां तुम रोक लेते जबां मरी,
यह महसर है यहां सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी ।

श्री ओंकार नाथ---

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर नियम 301 पर व्यवस्था उठानी थी तो उसकी लिखित सूचना देनी चाहिये । अब इसकी इजाजत नही देता ।

श्री ओंकार नाथ---

नियम 301 में व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यदि आपको कोई आपत्ति हो, तो मेरे कक्ष में बात कर लें ।

श्री ओंकार नाथ---

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है । 27 मार्च की बात है । मेरे क्षेत्र में ओले की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से नहीं । आप हमारे कक्ष में आ जाय । आपकी जो सूचना होगी, विचार कर लेंगे ।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां---

मान्यवर, मेरी बात नहीं सुनी ।

जिला एटा में गंज डुंडवारा चुंगी घर के पास आग लगने के संबंध में वक्तव्य

विद्युत् मन्त्री (श्री रेवती रमण सिंह)---

मान्यवर, दिनांक 7 मई, 1979 को सायंकाल में जिला एटा के गंज डुन्डवारा कस्बा में श्री मुकेश की मिट्टी के तेल की दुकान पर काफी आदमी मिट्टी का तेल लेने के लिये एकत्रित हुये थे । श्री मुकेश की दूकान के बाहर सड़क की पटरी पर की ओवर हेड लाइन के नीचे एक मिट्टी के तेल का ड्रम जिसका मुंह खुला था, रखा हुआ था । अचानक 18 बजे के करीब उस मिट्टी के तेल के ड्रम में आग लग गई जिसके फलस्वरूप वह ड्रम फट गया उसके अन्दर से जलता हुआ मिट्टी का तेल वहीं पर उपस्थित व्यक्तियों के ऊपर पड़ गया और वे लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए । इस अग्निकाण्ड से कुल 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनके विवरण निम्न प्रकार से हैं :---

[श्री रेवतीरमण सिंह---]

क्रम संख्या	मृतक का नाम	मृत्यु होने का स्थान
1	श्री मुकेश पुत्र श्री चन्द्र बाबू, गंजडुण्डवारा	दुर्घटनास्थल पर
2	श्री अशोक कौशिक पुत्र श्री सुखीराम कौशिक, जिला मथुरा	दुर्घटनास्थल पर
3	श्री प्रताप कुमार, लैब असीस्टेन्ट, डिग्री कालेज, गंजडुण्डवारा	दुर्घटनास्थल पर
4	श्रीमती कंठ, श्री पुजारिन आर्य समाज मन्दिर, गंज डुंडवारा	अस्पताल गंजडुंडवारा
5	सतीश चन्द्र पुत्र श्री श्यामा बाबू, गंज डुंडवारा	जिला अस्पताल, एटा
6	श्री राजा राम गुप्त, गंज डुंडवारा	जिला अस्पताल, एटा
7	श्री घमन्डी लाल भुर्जी, गंजडुंडवारा	जिला अस्पताल, एटा
8	श्री बाबा अब्दुल मजीद फकीर	जिला अस्पताल, एटा
9	श्री अम्बरीश कुमार मिश्रा, गंजडुंडवारा	जिला अस्पताल, एटा
10	श्री अनुराग गोयल, इण्टर कालेज गंजडुंडवारा	जिला अस्पताल, एटा
11	श्री राकेश कुमार गंगवार कायमगंज	जिला अस्पताल, एटा
12	श्री मुजाहिद अली, चिरैला	जिला अस्पताल, एटा
13	श्री मंगलदास चपरासी, अस्पताल, गंजडुंडवारा	जिला अस्पताल, एटा
14	श्री खेम करन कुम्हार, नगला नुनेरा	मेडिकल कालेज, आगरा
15	श्री रामवीर कुम्हार, नगला नुनेरा	मेडिकल कालेज, आगरा
16	श्री सुरेन्द्र सिंह गंगवार, कायमगंज	मेडिकल कालेज, आगरा

जांच के दौरान मिट्टी के तेल के दुकानदार श्री मुकेश के पिता श्रीचन्द्र बाबू तथा एक अन्य गवाह द्वारा यह बताया गया कि कुछ आदमियों (जिनके नाम वे स्वयं जांच के दौरान नहीं बता सके) ने उन्हें बताया था कि बिजली की ओवर हेड लाइन के तार में से चिनगारी निकल करके दुकान के सामने रखे हुए मिट्टी के तेल के ड्रम में पड़ी जिसके फलस्वरूप तेल में आग लगी और ड्रम के फटने से 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई परन्तु जांच के दौरान लिए गये अन्य गवाह के बयानों तथा बिजली की ओवर हेड लाइन को देखने से उक्त तथ्य सत्य प्रतीत नहीं होता है। अन्य गवाहों तथा श्री मुकेश की दूकान के पास में स्थित दूसरे दुकानदारों द्वारा यह बतलाया गया कि बिजली की ओवर हेड लाइन से कोई चिनगारी नहीं निकली थी बल्कि श्री सुरेन्द्र सिंह गंगवार नामक एक युवक द्वारा श्री मुकेश की दुकान पर मिट्टी के तेल में आग लगाई गई जिसके फलस्वरूप मिट्टी के तेल के ड्रम में आग लगी और वह फट गया और वहां पर उपस्थित आदमियों के ऊपर पड़ा जिससे वे दुर्घटनाग्रस्त हो गये। उक्त मिट्टी के तेल की लपटों से बिजली की ओवरहेड लाइन के 6 तार पिघल करके नीचे गिर पड़े। अतः यह अग्निकाण्ड बिजली की लाइन के तार टूटने से घटित नहीं हुआ बल्कि मिट्टी के तेल में आग लगने से घटित हुआ था। पुलिस स्टेशन

गंज डुन्डवारा से यह ज्ञात हुआ कि अभी तक उनके द्वारा जांच कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है । जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर तुरन्त ही फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेन्स के साथ पहुंच गये तथा घटना से प्रभावित व्यक्तियों के लिये चिकित्सा सम्बन्धी एवं मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के बारे में समुचित व्यवस्था कराई । मामले में पुलिस की जांच जारी है ।

(श्री ऊदल के खड़े होने पर)

विजय राज सिंह---(जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, नियम 51 के उप नियम (3) की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

श्री ऊदल (जिला बाराणसी)---

मैं प्रश्न तो नहीं पूछ रहा हूं लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, कि वक्तव्य दिला दीजिए इतनी बड़ी दर्दनाक दुर्घटना हुई है, नियम 51 में भी आप से आग्रह किया था आप ने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वक्तव्य आप ने स्वीकार किया । उस दिन जो मेरी सूचना थी उस के अनुसार 10 व्यक्तियों की मरने की सूचना थी लेकिन माननीय मंत्री जी ने मरने वालों की संख्या 16 बतायी है इतना काफी नुकसान हुआ है । माननीय मंत्री जी ने आखिर में यह कहा है कि आर्थिक सहायता उन को पहुंचायी । इतना तो श्रीमन्, बिना प्रश्न पूछे बता दें कि अब तक क्या सहायता दी गई । क्या माननीय मुख्य मंत्री कोष से भी इन परिवारों को जो मर गये हैं जिनका काफी नुकसान हुआ है उनको सहायता दी गई ।

श्री रेवती रमण सिंह---

मान्यवर, इस में पचास हजार रूपया शासन की तरफ से स्वीकृत कर दिया है । आज ही मुख्य मंत्री जी से मेरी बात हुई है कि मृतकों के परिवारों में इस रुपये को बांट दिया जाय । इसके साथ ही मैंने एक पत्र लिखा है इस की जांच वहां के डी0 एम0 के द्वारा करा ली जाय और पुलिस रिपोर्ट आने के बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, की जायगी ।

श्री विजय राज सिंह---

नियम 51 के उप नियम (3) में स्पष्टीकरण के लिए अनुमति दे सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह नियम 51 में नहीं आता है । यह केवल वक्तव्य के लिए कहा है । इसमें आप स्पष्टीकरण नहीं पूछ सकते हैं ।

उन्नाव के कतिपय विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं निलम्बन के आदेशों के पालन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की सूचना

सामुदायिक मंत्री (श्री जमुना प्रसाद बोस)--

मान्यवर, जिला विकास अधिकारी, उन्नाव खण्ड विकास अधिकारी (सुनायी न पड़ने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप जोर से पढ़ दीजिए ।

श्री जमुना प्रसाद बोस--

मान्यवर, जिला विकास अधिकारी, उन्नाव, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, (ग्रामीण अभियन्त्रण) एवं ब्लाक संगठनकर्ता (प्रान्तीय विकास दल) के स्थानान्तरण एवं निलम्बन पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि जिलाधिकारी के बारे में उचित कार्यवाही करने के लिए शासन ने लिख दिया है, उसका उल्लेख नहीं हुआ । क्या माननीय मंत्री जी मात्र इतना बतलायेंगे कि जिलाधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उनसे जितना उचित था, वह पूछा गया था । वह जवाब आ गया अब क्या कार्यवाही हो रही है यह उनसे जा कर पूछ लीजिए । इसका इससे सम्बन्ध नहीं है ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1979†

श्री शिव मंगल सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक 1979 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1979 की पुनः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

अनुज्ञा तो दे दी गयी लेकिन कितनी बार संशोधन किया जायगा ?

---

†दिनांक 18 मई, 1979 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री शिव मंगल सिंह--

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

एक कार्य स्थगन प्रस्ताव श्री श्याम नारायण तिवारी ने प्रदेश में गेहूं की खरीद के प्रति शासन की उदासीनता तथा प्रदेश किसानों में असंतोष के बारे में प्राप्त हुआ । यह विषय कई बार विधान सभा में उठाया जा चुका है । इसलिए मैंने इसे अस्वीकृत किया ।

श्री श्याम नारायन तिवारी (जिला गोरखपुर)--

मेरी बात भी सुन ली जाय । सरकार वास्तव में गेहूं की खरीद नहीं करना चाहती है । किसी भी क्रय केन्द्र पर बोरे नहीं हैं । किसान 7, 8 दिन तक क्रय केन्द्रों पर गेहूं लेकर पड़े रहते हैं और मजबूर होकर बिचवइयों को मिट्टी के मोल गेहूं को बेंचना पड़ता है, जिससे बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया बैठे । मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है आप नियमों के अनुसार चलें ।

श्री श्याम नारायन तिवारी--आप की आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन सरकार की इस नीति के विरोध में मैं कुछ समय के लिये सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री श्याम नारायन तिवारी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री ऊदल---

मैं स्वयं गया था । वहां बिचवइये गेहूं खरीद रहे हैं और किसानों को लूट रहे हैं । 200 आदमी प्रदर्शन किये कि बिचवइये उनको लूट रहे हैं । यह विकट समस्या उनके सामने है । सरकार कोई इन्तजाम नहीं कर रही है । इतने अहम मसले पर आप सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं । इसलिये मैं भी अपने दल के साथ इस सवाल पर 5 मिनट के लिये सदन का त्याग कर रहा हूं ।

(श्री ऊदल अपने समुदाय सहित सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 1978 : (क्रमागत)†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 1978 को मैंने पेश किया है । इसके द्वारा इस अधिनियम की दो धाराओं में मैंने संशोधन प्रस्तावित किये हैं ।

† 2 मई, 1979 की कार्यवाही से ।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—]

धारा 5 में संशोधन यह है मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (एक) के खंड (ग) में उप खंड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप खंड (तीन) रख दिया जायगा :

"(1) तीन किसी खातेदार को जो उपयुक्त उप धारा (1) अथवा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, चकबन्दी अधिकारी की शिकायत पर या क्षेत्र के किसी खातेदार के प्रार्थना पत्र पर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) एक हजार रुपये का अर्थ दंड दे सकता है ।

इसके बारे में मुझे केवल इतना ही कहना है कि चकबन्दी प्रक्रिया का जो नोटिफिकेशन होता है सेक्शन 5 में उस नोटिफिकेशन का असर क्या होता है वह इसमें दिया हुआ है :—

धारा 5 की उपधारा (ग) इस तरह से है :—

(ग) 1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार :

(1) कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसमें मत्य–संबर्धन तथा कुक्कुट–पालन भी सम्मिलित है, से अशंबद्ध प्रयोजन के लिये अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा। मान्यवर, इस सदन के ज्यादातर प्रतिनिधि देहात से आये हैं ओर उन्हें चकबन्दी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से ज्ञान है । इसमें दो तरह के केसेज आते हैं टाइटिल के जिनमें एक इनहैरिटैन्स का होता है तथा सेल डीड्स और ट्रांसफर आदि आता है और दूसरा कब्जा मुखालफाने का होता है । मान्यवर, धारा 5 में जो प्रतिबन्ध लगाया है कि कोई खातेदार गजट नोटिफिकेशन हो जाने पर अपनी जमीन पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करायेगा या भूमि के किसी भाग को जो उसके कब्जे में है उसमें चकबन्दी के अधिनियम का उल्लंघन करता है या कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसमें मत्स्य–संबर्धन तथा कुक्कुट–पालन भी शामिल है, उससे भिन्न प्रयोग में उस जमीन को लाता है तो दंडित होगा लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की खाते की जमीन पर यह करता है तो ऐक्ट के अन्तर्गत कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जिसके अन्दर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके । इसलिये इस सेक्शन में जो संशोधन रखा है वह यह है कि "अपनी" की जगह पर शब्द "किसी" जोड़ दिया जाय । ताकि किसी भी जमीन पर चकबन्दी ऐक्ट के खिलाफ काम करने पर सभी दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने में चकबन्दी अदालतें सक्षम हो सकें ।

माननीय, धारा 11 का संशोधन यह है कि चकबन्दी प्रक्रिया शुरू होने के बाद जब मुकदमा चलता है तो जमीन के करेक्टर को बदलने की कोशिश की जाती है । जैसे कोई आदमी है और किसी जमीन पर उसकी झोपड़ी या रिहायशी इमारत खड़ी हुई है । उसमें उसकी आबादी दर्ज होनी चाहिए लेकिन अगर कोई शक्तिशाली आदमी है तो वह उस गरीब की झोपड़ी को गिरा देगा । लेकिन चकबन्दी अदालतों या चकबन्दी ऐक्ट के अन्तर्गत कोई ऐसा प्राविधान नहीं है जिससे वह स्टे आर्डर या हुकुम इम्तनाई जारी कर सके । इसलिये सेक्शन 11 में मैंने यह संशोधन रखा है कि मूल अधिनियम की धारा 11 में निम्नलिखित उपधारा (3) के रूप में जोड़ दिया जाये :—

"(3) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) में व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 के आदेश संख्या 39 के नियम 1 व 2 तथा आदेश संख्या 41 के नियम 5 के अधीन व्यवहार न्यायालय की प्रदत्त समस्त शक्तियां निहित होंगी ।" माननीय, इस संशोधन के जरिये मैंने कोशिश की है कंसोलिडेशन कौर्ट्स को भी सारे अख्तियार इंजक्शन जारी करने के लिए दे दिये जायं जो कि सिविल कोर्ट्स को मिले हुए ह। माननीय, सिविल कोर्ट्स में ही नहीं, जेड० ए० और एल० आर० ऐक्ट में माल की अदालतों को भी ये अधिकार हैं। कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट में ये अधिकार नहीं हैं । तो माननीय, यह मेरा सौभाग्य था कि जब मैंने इस विधेयक को पुरःस्थापित किया था तो तत्कालीन राजस्व मन्त्री एक वकील थे, कानूनी बारीकियों को समझते थे । उन्होंने मुझे एक पत्र 28 दिसम्बर, 1978 को लिखा भी था कि जो संशोधन आपने पेश किया है उससे शासन सहमत है और उसमें दिये गये संशोधनों का समावेश मूल विधेयक में कर दिया जायेगा ।

लेकिन माननीय, बदकिस्मती से वह मंत्री नहीं रहे । यह बात सही है कि हमारे मौजूदा मंत्री जी भी वकील हैं । मेरे साथ इस समय सबसे बड़ा माइनस प्वाइंट यह है कि हमारे पूर्व के राजस्व मंत्री ने जो एश्योरेंस दिया था वह भूतपूर्व जनसंघ घटक के थे आज की सरकार की स्थिति यह है कि अगर पूर्ववर्ती जनसंघ के मंत्रियों ने कोई कितना ही अच्छा आश्वासन क्यों न दिया हो शायद यह सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि आज राजस्व मंत्री जी इस विधेयक पर जो उनके विभाग से सम्बन्धित हैं, चर्चा हो रही है लेकिन वह यहां पर मौजूद ही नहीं हैं ।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । तिवारी जी ने जो कुछ भी कहा है उसके बारे में कोई असहमति नहीं हो सकती। मैं आपकी व्यवस्था यह चाहता हूं कि उनके जो संशोधन आये हैं उनका जवाब उप-मुख्यमन्त्री जी, जो यहाँ पर बैठे हैं वह देंगे या राजस्व

[श्री राज मंगल पाण्डेय—]

मन्त्री जी जो गैर हाजिर हैं उनको सदन में बुलाकर दिलवायेंगे क्योंकि मेरा ख्याल है सिवाय उप-मुख्य मंत्री जी के यहां और कोई है नहीं । यहाँ पर राजस्व मंत्री जी को होना चाहिये था । यह जो संशोधन दिये हैं इनसे वह सहमत हैं या नहीं इसका आश्वासन अगर उप-मुख्य मंत्री जी दे सकें तो मुझे कुछ नहीं कहना है । यदि राजस्व मंत्री जी को बुलाकर उत्तर देना है तो सिवाय यह संशोधन जो तिवारी जी कह रहे हैं उनका उत्तर कोई नहीं आयेगा। यहां पर तिवारी जी कहते जायं इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है । इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि वह इन्हें स्वीकार करेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय उप-मुख्य मंत्री जी, जो यह चकबंदी ऐक्ट का संशोधन चल रहा है इसका उत्तर आप देंगे या माननीय राजस्व मंत्री देंगे । अगर माननीय राजस्व मंत्री देंगे तो उनको यहां उपस्थित होना चाहिये ।

उप-मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)---

माननीय राजस्व मंत्री देंगे, वह आ जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो उनको कृपया बुला लें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, इस सिलसिले में आपने व्यवस्था दे दी । और माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, सदन को बताया है कि इस सारी बहस का उत्तर माननीय राजस्व मंत्री देंगे तो जो बातें अभी तक मैंने कही हैं उनको उन्होंने सुना नहीं, किस पर बहस हुई और कौन सी खामियां थीं इसकी जानकारी उनको नहीं हुई । तो मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि मै बहस को जारी रखूं या उनको बुला लें तब शुरू करूं या वह प्रोसीडिंग देख कर जबाब देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बहस जारी रखें, माननीय उप-मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं जो खास बात होगी, उनको बता देंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, सेक्शन 11 में सब-क्लौज 3 जोड़ने का अनुरोध किया है । उसमें मैंने कहा है आर्डर 39 रूल (1) और (2) में जो अधिकार सिविल कोर्ट्स को हैं वही अधिकार कानसोलिडेशन कोर्ट्स को भी दे दिये जायं । आपकी अनुमति से मैं इस सदन में आर्डर 39 रूल 1 और 2 क्या है उसे पढ़ देना चाहता हूं—

1. Cases in which temporary injunction may be granted where in any suit it is proved by affidavit or otherwise.—

(a) that any property in dispute in a suit is in dager of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree, or

(b) that the defendant threatens or intends to remove or dispose of his property with a view to (defrauding) his creditors,

(c) that the defendants threatens tc dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit.

The court may by order grant a temporary injunction to restrain such acts, or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property (or dispossession of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit as the court thinks fit until the disposal of the suit or until further orders).

इसका हिन्दी अनुवाद यह है—

मामले जिनमें अस्थायी निषेधाज्ञा जारी को जा सकती है, जहां किसी मुकदमे में शपथ-पत्र द्वारा था अन्यथा सिद्ध हो गया हो (अ) कि विवादास्पद सम्पत्ति के किसी पक्ष द्वारा बर्बाद, क्षतिग्रस्त या दूसरे के हवाले कर दिये जाने का खतरा है या गलत तरीके से किसी डिग्री के इजराये में बेच देने की सम्भावना है या (ब) प्रतिवादी अपने ऋणदाताओं को धोखा देने की नीयत से अपनी सम्पत्ति हटाने या बेच देने की नीयत रखता है अथवा धमकी देता है, (स) प्रतिवादी विवादास्पद सम्पत्ति से वादी को बेदखल अथवा दूसरे तरीके से वादी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, न्यायालय आदेश द्वारा ऐसे कार्य को रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर सकता है या बरबादी नुकसान, हस्तान्तरण, बिक्री व बेदखली, हटाने से रोकने के लिए ऐसे दूसरे आदेश जिसे न्यायालय उचित समझे, दे सकता है। यह आदेश मामले के निस्तारण होने अथवा अन्य आदेश दिये जाने तक के लिए दे सकता है।

अब इसका रूल (2) इस प्रकार से है :—

"(1) In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may, at any time, after the commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the Court for temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property right.

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—]

(2) The Court may by order grant such injunction, on such terms as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security, 'or otherwise as the court thinks fit'.

इसका हिन्दी भाषान्तर यह है :—

उल्लंघन की पुनरावृत्ति या उसे बराबर जारी रहने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा

(1) किसी भी मुकदमें में प्रतिवादी के संविदा उल्लंघन करने अथवा अन्य किसी प्रकार से क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए, चाहे मुकदमें में क्षतिपूर्ति का दावा किया गया हो या न किया गया हो, वादी मुकदमा शुरू होने के बाद किसी भी समय और निर्णय होने से पहले या पश्चात् न्यायालय में प्रतिवादी के संविदा के उल्लंघन करने या क्षति पहुंचाने या उसी संविदा से प्रादुर्भूत संविदा अथवा उसी समेकित समय में कर सकता है। अधिकार का इस प्रकार उल्लंघन करने या क्षति पहुंचाने से रोकने के लिये न्यायालय से स्थगन या निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना कर सकता है। (2) न्यायालय आदेश द्वारा ऐसी निषेधाज्ञा ऐसी शर्तों के साथ जारी कर सकता है। जैसे निषेधाज्ञा की अवधि भर के लिए, सम्पत्ति का हिसाब रखा जायगा, उसकी सुरक्षा की जाएगी या जैसा न्यायालय उचित समझे।

इसी प्रकार से आर्डर 41, रुल (5) की पावर्स भी देने के लिए इनमें संशोधन किया है। जो इस प्रकार से है—

"5. Stay by Appellate Court—(1) An appeal shall not operate as a stay of proceedings under a decree or order appealed from except so far as the Appellate Court may order, nor shall execution of a decree be stayed by reason only of an appeal having been preferred from the decree; but the Appellate Court may for sufficient cause order stay of execution of such decree.

Explanation.—An order by the Appellate Court for the stay of execution of the decree shall be effective from the date of the communication of such order to the Court of first instance, but an affidavit sworn by the appellant, based on his personal knowledge, stating that an order for the stay of execution of the decree has been made by the Appellate Court shall, pending the receipt from the Appellate Court of the order for the stay of execution or any order to the contrary, be acted upon by the Court of first instance.

(2) Stay by Court wich passed the decree.—Where an application is made for stay of execution of an appealable decree before the expiration of the time allowed for appealing therefrom, the Court which passed the decree may on sufficient cause being shown, order the execution to be stayed.

(3) No order for stay of execution shall be made under sub-rule (1) or sub-rule (2) unless the Court making it is satisfied.—

(a) that substantial loss may result to the party applyin for stay of execution unless the order is made,

(b) that the application has been made without unreasonable delay, and

(c) that security has been given by the applicant for the due performance of decree or order as may ultimately be binding upon him.

(4) Subject to the provisions of sub-rule (3), the court may make an *ex parte* order for stay of execution pending the hearing of the application.

(5) Notwithstanding any thing contained in the foregoing sub-rules, where the applicant fails to make the deposit or furnish the security specified in sub-rule (3) of rule 1, the court shall not make an order staying the execution of the decree."

5—कार्यवाही या इजराय का स्थगन अपील अदालत द्वारा स्थगन—किसी अपील दायर हो जाने मात्र से स्वतः कोई कार्यवाही अथवा किसी डिक्री की इजराय स्थगित नहीं हो जायगी। लेकिन अदालत अपील समुचित कारण होने पर ऐसी किसी डिक्री की इजराय को स्थगित कर सकती है।

व्याख्या—डिक्री की इजराय के स्थगन का अदालत अपील का आदेश, प्रथम अदालत को उस आदेश का संदेश प्राप्त होने की तिथि से प्रभावी होगा, लेकिन अपीलेंट द्वारा दाखिल शपथ-पत्र उसके व्यक्तिगत ज्ञान पर आधारित यह वर्णन करते हुए कि उक्त डिक्री की इजराय का स्थगन आदेश अदालत अपील द्वारा दिया जा चुका है, प्रथम अदालत द्वारा मान्य होगा जब तक कि इजराय के स्थगन का आदेश अपील अदालत द्वारा या उसके विरुद्ध कोई अन्य आदेश प्राप्त हो जाय।

(2) अपील करने की अवधि समाप्त होने के पूर्व ऐसी डिक्री, जिसकी अपील हो सकती है, के इजराय के स्थगन के लिए दिए हुये प्रार्थना-पत्र पर डिक्री देने वाली अदालत पर्याप्त कारण दिखाने पर इजराय का स्थगन का आदेश दे सकती है।

(3) उक्त उपनियम (1) या उपनियम (2) के तहत इजराय के स्थगन का कोई आदेश पारित नहीं किया जायगा जब तक ऐसा आदेश देने वाला न्यायालय संतुष्ट न हो जाय कि

(क) यदि उक्त आदेश नहीं किया जाता है तो वह पक्ष जो इजराय का प्रार्थी है, उसको भारी हानि होगी।

(ख) कि प्रार्थना-पत्र बिना अनुचित विलम्ब के दिया गया है, और

(ग) कि आदेश या डिक्री के समुचित कार्यान्वयन के लिए प्रार्थी द्वारा इतनी सीक्योरिटी दे दी गयी है जिसमें अन्ततोगत्वा वह स्वयं बाध्य हो जायगा।

(4) उपनियम (3) के प्राविधानों के अधीन रहते हुए उक्त प्रार्थना-पत्र की सुनवाई के समय तक न्यायालय इजराय का स्थगन आदेश एकतरफा कर सकता है।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—]

(5) उपर्युक्त उपनियमों के अन्तर्गत कोई बात निहित होते हुए भी, जब अपीलकर्त्ता नियम 1 के उपनियम (3) के अन्तर्गत वर्णित सिक्योरिटी को देने या जमा करने में असफल रहता है, तो कोर्ट डिक्री के इजराय के स्थगन का आदेश नहीं करेगा।

तो मान्यवर, इस तरह से इस संशोधन के जरिये कोई नयी बात नहीं कही गयी, बल्कि रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट को जस्टिस को एडमिनिस्टर करने के लिए जो अधिकार दिये गये हैं, चूंकि वह अधिकार कन्सालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट के तहत कन्सालीडेशन कोर्ट्स को नहीं हैं और जिसके कारण किसानों को परेशानियां होती हैं और ज्यादातर गरीब लोगों को परेशानी होती है और उनका शोषण किया जाता है। ला की इन कमियों का नाजायज फायदा उठाकर उच्च तबके के लोग उनका शोषण करते हैं। अगर भ्रष्ट अधिकारी मिल गया और वह जानता है कि इस तरह का प्राविधान नहीं है जिसकी तहत उसको मामले को एक्सपाइडेट करने के अिए दबाव डाला जा सकता है या स्टे आर इन्जन्कशन ऊपर की कोर्ट दे सकती है तो ऐसी अदालत द्वारा डिले किया जा सकता है और सक्षम लोगों को पूरा मौका दिया जाता है कि इन कानूनी कमियों का नाजायज लाभ उठाकर गरीबों का शोषण करें। गरीबों के अधिकारों का हनन करने का मौका उन्हें पूरा मिलता है। मान्यवर, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुऐ भूतपूर्व राजस्व मन्त्री स्वयं इस पक्ष के थे कि वे इस तरह का बिल लायेंगे। जब वह बिल नहीं आया तो मैंने इसको पेश किया। मन्त्री जी ने इस तरह का आश्वासन दिया था और उन्होंने इस तरह बात की कि वह स्वयं लाने वाले हैं। मुझे खतरा हुआ कि जिस तरह की सरकार है कि वह भूतपूर्व जनसंघ घटक के मन्त्री ने कितनी ही अच्छी बात क्यों न कही हो, उससे हमारी सरकार विमुख हो रही है। जब यह आशंका हुई तो मैंने यह संशोधन विधेयक पेश किया है। हम किसानों के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं। हमारे कन्धों पर गुरुतर भार है। अगर किसी ऐक्ट में खामी है जिससे दलितों के अधिकारों का हनन होता है। तो उन खामियों को दूर करें। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जनसंघ घटक के बारे में इनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है परन्तु इस तरह के जो संशोधन हैं जो सार्वजनिक जीवन से सम्बन्धित है और गरीब जनता से सम्बन्धित है उनको स्वीकार करना चाहिए। अन्त्योदय के नाम पर यह सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। इस संशोधन को प्रतिष्ठा का प्रश्न यह सरकार नहीं बनायेगी और उस पर विचार करेगी। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य तथा माननीय मंत्री जो इसका पूरा समर्थन करेंगे।

*श्री हरिचरन यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है और धारा 11 का उल्लेख किया है उसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, जनरल क्लाजेज ऐक्ट के अनुसार एक ही सक्षम न्यायालय को यह अधिकार दिया जाता है। यह नहीं है कि मुन्सिफ को सिविल प्रोसीजर ऐक्ट की तहत जो इन्जन्कशन इशू करने का अधिकार है वह कन्सालीडेशन कोर्ट को भी किया जा सकता है और एस0 डी0 एम0 को भी किया जा सकता है। .....

(इस समय 1 बज कर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हामिद रजा खां पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर इस प्रकार से किया जायगा तो एक आदमी तीनों अदालतों में च्वायस करेगा कि वह चकबन्दी अधिकारी के, मुंसिफ कोर्ट में या एस0 डी0 एम0 की अदालत में जाय। यह कहना कि कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट अनुसार इस प्रकार का प्रतिबन्ध है कि जिन गांवों में चकबन्दी चल रही है वहां पर रूल 2 का उल्लंघन होता है तो वह सिविल कोर्ट में दायर नहीं कर सकता है। उसे वहां पर मुकदमा दायर करने का पूरे का पूरा अधिकार है। जनरल क्लाजेज़ एक्ट में कोर्ट की परिभाषा दी गयी है और कोर्ट की परिभाषा में जो आते हैं उन्हीं को अधिकार दिए जा सकते हैं। कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट के अनुसार कन्सोलिडेशन आफिसर या बन्दोबस्त अधिकारी या डी0 सी0 ओ0 की कोर्ट को कोर्ट नहीं माना गया है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि कन्सोलिडेशन कोर्ट्स, कोर्ट नहीं हैं। लिहाजा कोर्ट की कन्टम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि धारा 11 की उपधारा जो है उसकी प्रक्रिया क्या है। धारा 9 .....

*श्री राज मंगल पांडेय--

मान्यवर, मैं आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं। माननीय सदस्य का यह कहना कि चकबन्दी की अदालतों को कोर्ट नहीं माना गया है। मेरा ख्याल है कि वे बहुत पहले की बात कह रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है और इसीलिए गवर्नमेंट को एमेंडमेंट लाना पड़ा कि वे भी कोर्ट हैं अगर कोई उनका कन्टेम्ट करता है तो उन पर वैसे ही कन्टेम्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती है जैसे और कोर्ट्स में। (व्यवधान) जब तक जनरल क्लाजेज़ ऐक्ट में या सिविल प्रोसिजर कोड में कन्सोलिडेशन आफिसर की स्पेसिफिक पावर्स नहीं दी जावेगी, वह अक्षम है। तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है वह इसीलिए है कि जो लोग अपनी शक्ति के बल पर गरीबों को दबा रहे हैं, जो हम को कानूनी अधिकार मिले हैं (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है

श्री राज मंगल पांडेय--

ऐसा मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य को गलत फहमी है। कानून के बारे में अलग विचार नहीं हो सकते हैं। चकबन्दी की जितनी भी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अदालत मान लिया है।

(व्यवधान)

श्री हरि चरन यादव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कन्सोलिडेशन कोर्ट की डेफिनिशन सी० आर० पी० सी० में दी गयी है। कन्सोलिडेशन होल्डिंग ऐक्ट में कोर्ट की डेफिनिशन नहीं दी हुयी है। पांडेय जी जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चकबन्दी की अदालतों

[श्री हरि चरन यादव---]

को कोर्ट मान लिया है, सही नहीं है । ऐसी कोई रूलिंग नहीं हुयी है । सेक्शन 9 (2) में कनसोलिडेशन अधिकारी या असिस्टेन्ट कन्सोलिडेशन अधिकारी रिकन्सिलिएशन कराते हैं गांवों में और उसके बाद जब रिकन्सिलिएशन नहीं होता है तो चकबन्दी अधिकारी को रेफर कर दिया जाता है ।

चकबन्दी अधिकारी उस पर अपना फैसला देते हैं । फिर उसकी अपील एस० ओ० सी० के यहां जाती है । आपकी बात इन्जंकशन आर्डर की अगर मान ली जाती है तब पूरा ऐक्ट ही बदलना होगा । जब कंसालिडेशन आफिसर या सहायक चकबन्दी अधिकारी कोई फैसला ही नहीं कर सकेंगे तो अपील किस चीज की होगी ? किसी भी चीज की अपील तो तभी की जा सकती है जब किसी चीज पर सबार्डिनेट अधिकारी या कोर्ट का कोई फैंसला हो । आपके संशोधन से जिस समस्या का समाधान आप करना चाहते हैं वह होने वाला नहीं है । यह जो पाबन्दियां आप लगा रहे हैं और जो संशोधन आप लाये हैं यह स्वीकार करने योग्य नहीं हैं क्योंकि यह आपस में बिलकुल ही मेल नहीं खाते यह तो आपस में ही एक दूसरे के विरोधी हैं ।

इसके अलावा इवीडेन्स के लिये अलग रूल है कि किस प्रकार इवीडेन्स ली जायेगी । फिर आप सी० पी० सी० को पार्टली एडाप्ट नहीं कर सकते । अगर उसको आप एडाप्ट कर लेते हैं तो 10 साल तक मुकदमा चलता रहेगा । उसको एडाप्ट करने का मतलब होगा कि पहले प्लेन्ड आये, उस पर सारी और आवश्यक कार्यवाही हो, ईशूज फ्रेम हों, कहने का मतलब यह हैं कि उसमें जो भी एक लम्बा प्रोसीजर है उस सब को एडाप्ट करना पड़ेगा और अगर इस लम्बी प्रोसीजर को एडाप्ट कर लिया गया तो फिर निश्चित रूप से मुकदमें में अधिक विलम्ब होगा। इसलिये मेरा कहना यह है कि माननीय सदस्य का जो संशोधन है वह व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं होगा।

इसके अलावा सेक्शन 11 में जो पाबन्दियां बढ़ाई जाने की बात है वह आपस में कन्ट्रेरी हैं। इससे एक प्रकार के और काम्पलीकेशन्स पैदा हो जायेंगे । जो यह बात कही जा रही है कि न्याय जल्दी सुलभ हो सकेगा, मेरे विचार से इन संशोधनों को स्वीकार करने से वह और असुलभ होगा ।

जहां तक सेक्शन 5 की बात है कि जोतदारों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अब दरख्वास्त देंगे तभी उनको रिस्ट्रेंड किया जा सकता है कि 5 (सी) का उल्लंघन न करें । मेरी गुजारिश यह है कि धारा 5 में इस प्रकार का प्राविधान है कि अगर उस नियम का कोई वाइलेशन करता है, तो उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है किसी की भी दरख्वास्त पर। जो आदमी उस धारा का उल्लंघन कर रहा है या वह हस्तांतरण कर रहा है, तब उसमें कोई भी व्यक्ति जो उस गांव सभा का सदस्य है, दरख्वास्त दे सकता है और उसे रोका जा सकता है । ऐक्ट में साफ है कि अगर 5 (सी) का उल्लंघन होता है, तो उसको एस० ओ० सी० मना

कर देंगे । इस प्रकार से धारा 5 का जो संशोधन पेश किया गया है, वह किसी भी माने में उपयोगी नहीं है । धारा 5 (सी) (11) में जो प्राविजन रखा गया है वह बहुत काफी है । उसके अनुसार ही कोई काश्तकार, चाहे वह कब्जे में हो, चाहे मूल खातेदार हो, उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं ।

एक बात कही गयी कि चकबंदी का फैसला जिनके पक्ष में होता है, तो वह मुकदमा लिंगर आन करते रहते हैं । व्यावहारिक रूप से मान्यवर मुकदमा बढ़ाया वहां जाता है, जब चक कट गया और वह जब 23 का फार्म पा जाता है तो डी0 डी0 सी0 के फैसले के बाद वह चक उसी के पास बरकरार रहता है । धारा 9 के फैसले के बाद अमूल्यमन चक कट जाता है और डी0 डी0 सी0 के फैसले के बाद वह चक उसी के पास बरकरार रहता है, जिसके पक्ष में एस0 ओ0 सी0 का फैसला होता है, उसी के हक में चक कर दिया जाता है, जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, काश्तकारों को, वह चक के बारे में है । इस प्रकार से किसी भी न्यायालय से ऐसे अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं और यह संशोधन सेल्फ कंट्राडिक्टरी है । माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया है, इसे और कई धाराओं का अध्ययन करने के बाद और यह देखने के बाद कि सारी धाराओं के उपबन्ध आपस में मेल खाते हैं और काश्तकारों को फायदा जिससे पहुंच सकता है, उस प्रकार का संशोधन उन्हें लाना चाहिए । मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि माननीय तिवारी जी को कोई अन्य संशोधन लाना चाहिए ।

*श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने चकबन्दी ऐक्ट की धारा 5 और धारा 11 के सम्बन्ध में जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मेरे लायक दोस्त ने अभी जो ऐक्ट के संशोधन के सम्बन्ध में, न समझने की वजह से कहा है, वह उनके दिमाग में अपना भ्रम है कि इसमें स्पीडी निर्णय में दिक्कत होगी । वास्तव में धारा में 5 जो दिया गया है, धारा 5 के तहत एस0 ओ0 सी0 से परमिशन ली जाती है और धारा 11 जो है वह एस0 ओ0 सी0 की कोर्ट को पावर से सम्बन्धित है । दोनों को साइमलटेनियसली इन्होंने अपने संशोधन में रखने का प्रयास किया है ।

और अगर दोनों धाराओं को ठीक से समझा जाय तो माननीय श्री तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है वह बहुत कारगर होगा । मान्यवर धारा 15 में लिखा है कि अपनी ही होल्डिंग में कोई काश्तकार कुछ बनावे तो उसको रोकने का प्राविजन है तो इसलिये मेरे माननीय सदस्य श्री तिवारी ने धारा 11 में यह प्राविधान किया है उसके तहत आर्डर 39 सी0 पी0 सी0 में जो प्राविजन हैं उसे इसलिए लागू करना चाहते हैं । इसी तरह से कोई व्यवधान पड़ता है वह न पड़े इसलिए उन्होंने ऐसा किया है ।

---

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विद्याशंकर—]

अब आप देखें यह क्या है अपीलेट उसका प्राविजन जो है अपीलेट कोर्ट के बाद रिवीजन होता है । धारा 48 में और रिवीजन के बाद जो है चकबन्दी का निर्णय समाप्त हो जाता है लेकिन अगर किसी कानूनी प्वाइन्ट पर रिट में वे जा सकते हैं तो जहां डिले का प्रश्न है तो वहां भी हो सकता है । अगर वह रिट करता है तो वह चकबन्दी कानून के तहत 4–4, 6–6 साल तक वह पेंडिंग रहते हैं । इसलिए यह और भी कारगर ढंग से चकबन्दी कानून लागू होगा । इसलिये यह संशोधन दिया गया है तो मान्यवर, मैं माननीय सदस्य श्री तिवारी ने जो धारा 5 और 11 में संशोधन दिया है उसका मैं समर्थन करते हुए और राजस्व मंत्री से अनुरोध करूंगा कि व्यावहारिक दृष्टि और अनुभव के आधार पर धारा 5 और 11 में जो संशोधन दिया गया है उसको वह स्वीकार करें तभी वह तात्कालिक निर्णय दे सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी इसका उत्तर देंगे ।

*उप मुख्य मन्त्री राजस्व (श्री नारायण सिंह)—

अधिष्ठाता महोदय माननीय तिवारी जी ने जो आक्षेप मेरे ऊपर किया है मुझे उसका बहुत दुख है । मेरा कोई आदेश कोई आर्डर आज तक ऐसा नहीं हुआ । मेरी किताव शीशे की तरह खुली है·····

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

एक सदस्य—

मंत्री जी ने कहा कि इससे पहले जो मंत्री थे । वह जनसंघ के थे । वह कहां हैं वह तो जनता पार्टी के हैं ।

श्री नारायण सिंह—

माननीय तिवारी जी ने कहा, उसका जवाब दे रहा हूं । बार-बार उन्होंने घटक का जिक्र किया है । यह उनके दिमाग की बात है ।

मेरा न कोई ऐसा आदेश है और न कोई ऐसी कोशिश । यदि आप कहें तो जो भी स्थिति है वह आपके सामने रख दूं । उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया, है, की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के भाग (क) में शब्द 'अपनी' के स्थान पर शब्द 'किसी' रख दिया जायेगा। मूल अधिनियम की धारा 5 (1) (ग) इस प्रकार है । 1950 के उ० प्र० जमींदारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम म किसी बात के होते हुए भी बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी का लिखित पूर्व प्राप्त आज्ञा के बिना कोई खातेदार कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसमें मत्स्य-संवर्धन तथा कुक्कुट-पालन भी सम्मिलित है, से असंबद्ध प्रयोजन के लिये अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का उपयोग नहीं करेगा। आप कहते हैं कि 'किसी जोत' कर दिया जाये। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि काश्तकार अपनी ही जोत की बात कर सकता है उसमें किसी जोत की बात कैसे आयेगी। किसी जोत की बात अगर आयेगी तो उसमें आई० पी० सी० में प्रोसीजर है। मैं यहां पर अपनी की जगह किसी का कोई औचित्य नहीं समझता। इसमें न किसी गरीब का ही लाभ हो सकेगा और न किसी अमीर का।

धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उप खण्ड (2) के पश्चात् नया उपखंड (3)—किसी खातेदार को जो उपर्युक्त उपधारा (1) अथवा (2) के उपबन्धों का उलंघन करता है, चकबन्दी अधिकारी की शिकायत पर या क्षेत्र के किसी खातेदार के प्रार्थना-पत्र पर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) एक हजार रुपये का अर्थ दन्ड दे सकता है। उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 45-क में प्राविधान है कि जो व्यक्ति धारा 5 (ग) (1) के उपबन्धों का उलंघन करेगा वह किसी समर्थ न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष पाये जाने पर, ऐसे जुर्माने का भागी होगा, जो एक हजार रुपये से अधिक न हो। यह प्राविजन है नया प्राविजन करने की क्या जरूरत है। तीसरे आपने कहा है कि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) तथा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) में व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश संख्या 39 के नियम 1 व 2 तथा आदेश संख्या 41 के नियम 5 के अधीन व्यवहार न्यायालय की प्रदत्त समस्त शक्तियां निहित हों।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस वक्त चकबन्दी शुरू हो जाती है सारी जमीन गवर्नमेंट की हो जाती हैं और आदमी को जगह पर कब्जा नहीं मिलता है। न्यायालय में एक मुकदमा 10 साल और 15 साल में होता है। चकबन्दी विभाग में मुकदमा 3 साल में तय होता है वहां 10-15 साल लगेंगे। जैसा आपका विचार है कि गरीबों की मदद होगी तो इससे उनका नुकसान ही होगा। एक मुकदमें के अन्दर 10 मुकदमें बनेंगे। जिसके पास पैसा है वह दूसरे को, गरीब को तंग कर देगा और वह परेशान हो जायेगा। तो मैं इसे नहीं चाहूंगा।

इन्जंक्शन के लिये मेरा नम्र निवेदन है तिवारी जी से कि अगर किसी मुकदमें के सिलसिले में ए० सी० ओ०, सी० ओ०, डिप्टी डायरेक्टर किसी को गवाही के रूप में चाहते हैं, वहां सी० पी० सी० की धारा लग जाती है। सेक्शन 48 को आपके सामने रखना चाहूंगा।

(इस समय 1 बजकर 39 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री नारायण सिंह—

धारा 48 में है :—"चकबंदी संचालक किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गयी कार्यवाही का अभिलेख उस कार्यवाही की नियमितता के विषय में, या उस मामले अथवा कार्यवाही में उस प्राधिकारी द्वारा दी गयी किसी आज्ञा की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में, अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता और सम्बद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है, जो वह उचित समझे ।"

तो इस बात का प्राविजन है कि डिप्टी डाइरेक्टर को पूरा अधिकार दिया गया है कि अगर ऐसी शिकायत आती है तो दोनों फरीकों को वह बुलायेंगे और सुनने के बाद जो आदेश उचित होगा वह देंगे । इसी तरह से सेक्शन 49 में है :—

"तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जो, उस क्षेत्र में पड़ती हो जिसके लिये धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी कर दी गयी हो, खातेदारों के अधिकारों का प्रख्यापन तथा निर्णय, अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकार का निर्णय जो चकबन्दी कार्यवाहियों से उत्पन्न हो और जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा और कोई दीवानी या माल न्यायालय, उक्त भूमि में अधिकारों के संबंध में अथवा किसी अन्य विषय के संबंध में जिसके लिये अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती थी अथवा की जानी चाहिये थी, किसी वाद अथवा कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा ।"

तो इसमें सिविलकोर्ट को बार किया है एक-एक पीढ़ी बीत जाती है जमीन को लेने में । चकबन्दी में सरलीकरण किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में न्याय मिल सके । अगर अलग-अलग अदालतों में हो जाय तो न्याय जल्दी नहीं मिल पायेगा और खर्च बढ़ जायेगा और गांव के आदमी को जो न्याय हम देना चाहते हैं वह नहीं मिल पायेगा ।

सेक्शन 38 के बारे में मैंने निवेदन किया कि उसमें साफ तौर से प्रोविजन है कि अगर कोई बिटनेस अदालत चाहती है तो वह तलब हो सकता है और उसकी गवाही हो सकती है । जहां जरूरत समझी गयी है सी० पी० सी० की तो वह व्यवस्था है । तो जो आपने एमेंडमेंट रखा है, मैं नम्रता से निवेदन करूंगा कि अगर वाकई में मैं समझता हूं कि कंसालीडेशन ऐक्ट में इनके बढ़ने से आम जनता या गरीब आदमी को कोई लाभ होने वाला है तो कोई जिद की बात नहीं थी । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने स्वयं ऐक्ट को देखा और आपके अमेंडमेंट को देखा तो इस निर्णय पर पहुंचा कि कोई तरमीम की जरूरत नहीं है । जो तरमीम आप चाहते हैं वह पहले से ही है । जो आपने "अपनी" की जगह "किसी" रखने की बात कही है तो वह उचित नहीं है वह मैं नहीं कर सकता हूं । इन शब्दों के साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो अपना संशोधन है उसको वापस ले लें ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको उसी समय बोलना चाहिये था। अब स्पष्टीकरण किस बात का चाहते हैं ?

श्री कमलाप्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने कंसालीडेशन के संबंध में बताया हैं कि स्टे और हाईकोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है । तो उसके संबंध में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जिस समय चकबन्दी में धारा 52 का प्रकाशन हो जाता है और जहां चकबन्दी हो रही थी तो उसमें जो अनियमितता रह जाती हैं उनको दुरुस्त करने के लिये चकबन्दी के कंसालीडेशन ऐक्ट में कौन सा नियम है जिसमें गलत यदि रह गया है तो उसको बाद में दुरुस्त किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर अभी नहीं । आप बैठ जांय

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, अभी माननीय मित्र ने जो स्पष्टीकरण चाहा है उसके बारे में कुछ देर पहले माननीय राजस्व मंत्री स्वयं बता चुके हैं और सेक्शन 49 का हवाला दिया । उसमें कंसालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट यह बताता है कि जब कंसालीडेशन का गजट नोटीफिकेशन हो जाता है उस समय जो भी मुकदमें जिस स्टेज पर होते हैं तो वहीं पर वह अबेट हो जाते हैं और सारा जूरिस्डिक्शन चाहे सिविल कोर्ट का हो या रेवेन्यू कोर्ट का हो सब कंसालीडेशत कोर्ट में शामिल हो जाता है । यह हमारी बदकिस्मती है और मैंने शुरू में ही कहा था कि यहां राजस्व मंत्री नहीं हैं, इसलिये वह हमारी बात को सुन नहीं पाये जिसका नतीजा हुआ कि सारी बात का मंत्री जी को गलतफहमी हो गयी । मान्यवर, मंत्री जी ने शुरू में कहा कि हमने उनके बारे में आक्षेप किया । तो मान्यवर, हमने मंत्री जी के बारे में कोई आक्षेप नहीं किया था । इतना निवेदन जरूर किया था कि पूर्ववर्ती जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि शासन सिद्धान्त रूप से इन संशोधनों से सहमत है और हम शासन की ओर से इस संबंध में बिल लायेंगे । मैंने कहा था कि चूंकि पूर्ववर्ती जनसंघ घटक के मंत्रियों के बहुत से आदेश दूसरे मंत्रियों ने निरस्त कर दिये हैं इसलिये उनको देखते हुये लगता है कि मौजूदा राजस्व मंत्री भी शायद उस आश्वासन को पूरा करने के लिये तैयार नहीं हैं, इसलिये मैंने यह बिल इन्टरोड्यूस किया है । मैंने आप पर आक्षेप नहीं किया था ।

मान्यवर, अब मंत्री जी ने कहा कि सेक्शन 5 का जो संशोधन है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है और उन्होंने सेक्शन 5 की उपधारा 1 (ग) को पढ़कर सुनाया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वह उत्तर प्रदेश भर के कंसालीडेशन कोर्ट के आंकड़े मंगा लें तो मेरी चुनौती है कि उसमें 50 फीसदी टाइटिल के मुकदमें जैसे सेल डीड आदि के होते हैं और बाकी 50 फीसदी मुकदमें केवल एडवर्स पजेशन के होते हैं। और वह इस प्रकार के होते हैं कि खातेदार कोई और होता है लेकिन जब कंसालीडेशन प्रोसीडिंग शुरू होती है तो कोई कहता है कि खाता उनके नाम है लेकिन वह फर्जी है, इस पर हम 50 साल से काबिज चले आ रहे हैं, इसलिये हमने इस पर टाइटिल मेच्योर कर लिया है, इस पर तो हमारा नाम दर्ज होना चाहिये। मान लें कि इस तरह का कोई जबरदस्त या प्रभावशाली आदमी है और हम गरीब है तो वह हमारी होल्डिंग पर कब्जा कर लेता और कब्जा करके वह सेक्शन 5 उपधारा 1 (ग) का उल्लंघन करता है, तो मैं मा० मंत्री जी को चुनौती देना चाहता हूं कि एक भी सेक्शन पूरे कंसालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट में दिखा दें कि उस व्यक्ति के खिलाफ कौन सी हम कार्यवाही कर सकते हैं। यदि वह दिखा देंगे तो मैं अपना संशोधन विधड्रा कर लूंगा।

मेरा जो संशोधन था सेक्शन 5 के बारे में उसके पीछे केवल यही मन्शा थी कि कब्जे के मामले में जो बड़े लोगों द्वारा दिक्कत होती है, गरीब लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। इसीलिये यह संशोधन किया था। कोई भी खातेदार यदि जमीन पर कृषि, बगीचा लगाता है, या कुक्कुट पालन इन कार्यों के अलावा यदि कोई काम करता है तो उसमें है कि बंदोबस्त अधिकारी ये ये कार्यवाही करेंगे। तो 50% केसेस कान्सालीडेशन कोर्ट्स में टाइटल के हैं जिसमें इनहीरीटेंस, ट्रान्सफर और हिब्बा के मामले होते हैं और 50%केसेस कब्जा मुखालफाना के आते हैं। अब इसमें कहीं खाता हमारे नाम दर्ज है और कब्जा आपका है, तो आप कहेंगे कि 50 साल से कब्जा चला आ रहा है और हमने सीरदारी राइट्स परफेक्ट कर लिया है, इसलिये खातेदार का नाम काटकर हमारा नाम होना चाहिये। तो इस तरह की जमीन पर अगर कोई व्यक्ति है, जो खातेदार नहीं है, लेकिन कब्जे में है, तो वह सेक्शन 5 आफ कन्सालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट के प्रावीजन को अगर कन्ट्रावीन करता है, तो उसके खिलाफ प्रोसीड करने का कोई भी अधिकार कन्सालीडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट के किसी भी सेक्शन द्वारा कान्सालीडेशन कोर्ट या कन्सालीडेशन एथारिटी को नहीं दिया गया है। इसका नाजायज फायदा उठाकर समाज के शक्तिशाली वर्ग के लोग गरीबों के अधिकारों का हनन करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं और सेक्शन 4 के नोटीफिकेशन होने के बाद भी जमीन के करेक्टर को बदल देते हैं, उसमें नये-नये इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। तो, मान्यवर, हमने जो सेक्शन 5 में अमेंडमेंट प्रपोज किया है, और उसके लिये बंदोबस्त अधिकारी को जुर्माना करने का अधिकार देने का जो संशोधन किया है, उसके पीछे यही मन्सा है कि गरीबों, शोषितों, दलितों को प्रोटेक्शन मिल सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह कोई भी ऐसा प्रवीजन दिखा दें जिसकी तहत कन्सालीडेशन एथारिटी प्रोसीड करने पर प्रोटेक्शन दे सकती हो, अगर ऐसा कोई प्रवीजन हो तो मैं अपना संशोधन वापस कर लूंगा। अगर नहीं है, तो, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

जहां तक सी० पी० सी० प्रावीजन की अप्लीकेविलिटी की बात है, यह सही है कि सी० पी० सी० के आर्डर 39, रूल 1 और 2 तथा आर्डर 41, रूल 5, कन्सालीडेशन आफ होल्डिग्स ऐक्ट के तहत कन्सालीडेशन कोर्ट के लिये अप्लीकेविल नहीं है। इसलिये तो यह संशोधन, मान्यवर में ले आया हूं। अगर होता तो संशोधन की, मान्यवर क्या आवश्यकता थी।

मान्यवर, में निवेदन करना चाहता हूं कि कोर्ट्स दो तरह के होते हैं। एक तो कोर्ट्स आलरेडी पहले से चले आ रहे हैं जैसे सिविल कोर्ट्स हैं। जैसे कोई ऐक्ट बना। उस ऐक्ट के तहत उठने वाले सारे मुकद्दमों को दायर करने का जुरिस्डिक्शन इग्जिस्टिंग कोर्ट्स में से ही किसी को दिया जाता है--जैसे हिन्दू ला है। हिन्दू ला बना और हिन्दू ला के तहत ही इस बात का प्राविधान कर दिया गया है कि हिन्दू ला के तहत उठने वाले सारे मुकदमें ओरिजनल जुरिडिक्शन वाले सिविल कोर्ट्स में दायर होंगे। तो इस तरह से कोर्ट्स पहले से ही हैं। ऐक्ट बाद में बना। लेकिन उस ऐक्ट के तहत उठने वाले सारे मामलों का जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट्स को दे दिया गया।

लेकिन मान्यवर, कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी होते हैं जो केवल कुछ समय के लिए बनते हैं। कन्सालीडेशन कोर्ट्स भी उसी तरह के होते हैं। कन्सालीडेशन आफ होल्डिग्स ऐक्ट के तहत ही ये कोर्ट्स बनते हैं। उसी ऐक्ट के तहत उनका प्रोसीज्योर भी तय किया गया है और उनके अधिकार भी सुनिश्चित किये गये हैं। एक प्रक्रिया के पूरे हो जाने के बाद वे कोर्ट्स उसी ऐक्ट के तहत समाप्त भी कर दिये जाते हैं। तो ऐसे कोर्ट्स बनाते समय जितनी भी परिस्थितियां विधायिका के सामने रहती हैं, उन पर नजर रखकर वह ऐक्ट बनाया जाता है लेकिन खामियां धीरे-धीरे नजर आती हैं। कन्सालीडेशन आफ होल्डिग्स ऐक्ट के इतने दिनों के लागू होने के बाद जब खामियां हमारे सामने आयीं, तो उससे पैदा होने वाली कठिनाइयों का अहसास हुआ तो उसी को नजर रखते हुए यह संशोधन लाये।

इसमें शुरू में कानून बनाते समय जितनी लोगों की समस्यायें थी उनको सामने रखकर यह ऐक्ट बनाया गया। इस ऐक्ट के तहत अदालतों के अधिकारों को भी सुनिश्चित् किया गया और इसकी सारी प्रक्रिया सुनिश्चित की गई। लेकिन अब तक की फंक्शनिंग के बाद यदि कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उनको अनुभव के आधार पर दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसी मंशा से मैंने यह संशोधन मूव किया था और इससे कहीं भी डिले इन प्रोसीडिंग्स कार्यवाही में कोई देर नहीं होगी। जिस समय मैंने अपना भाषण शुरू किया उस वक्त माननीय मंत्री जी नहीं थे। मुझे लगता है कि इसी वजह से उनको गलत फहमी हुई। मैं एक बार फिर से मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी पूरे ऐक्ट को देखें और यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 5 के उप खन्ड-1 (ग) का उल्लंघन करता है और कन्सालिडेशन कोर्ट उसे पनिश कर सकता है तो मै संशोधन वापस ले लूंगा। नहीं तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें और इसे स्वीकार कर लें।

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, मैं फिर से प्रार्थना करूंगा। सन् 1975 या 1974 से पहले लेखपाल और कानूनगो को जमीन में कोई इन्ट्री करने का अधिकार था। अब उनको यह अधिकार नहीं है। जहां कहीं कोई नई एरिया ली जायगी और चकबन्दी शुरू की जायगी तो वहां कोई इन्ट्री उस वक्त नहीं होगी। सिर्फ आपका मतलब यह है कि मौके पर जिस वक्त चकबन्दी आपरेशन शुरू हो जाता है कोई अधिकारी जाकर देखता है कि फलां आदमी की जमीन पर कोई कार्यवाही हो रही है या नहीं, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि सी–आर० पी० सी०, आई० पी० सी० और फौजदारी कानून है वह वहां सीफ कर सकता है। यदि कोई प्रोवीजन करे तो इससे फायदा होने से नुकसान होगा। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा कि अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

चिकित्सा मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—श्रीमन्, मौनं स्वीकृति लक्षणं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं समझता हूं कि मेरी बदकिस्मती है कि माननीय मंत्री जी समझ नहीं सके या वह समझना नहीं चाहते। लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो सवाल है इस पर प्रदेश की जो शोषित और गरीब दलित जनता है उसको शोषण होता है और इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि इनजंक्शन और स्टे की बात न मानें वह मेरी समझ में आती है लेकिन कम से कम सेक्शन 5 के सब–सेक्शन 1 के सब–क्लाज 'ग' में जो प्रस्तावित संशोधन है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन फर्क यह पड़ता है कि गरीबों के साथ इससे न्याय होगा और कनसालिडेशन कोर्ट्स को भी कार्यवाही करने का मौका मिलेगा। इसे वह मान लें बाकी में वापस कर लूंगा अगर माननीय मंत्री जी कहेंगे तो।

श्री नारायण सिंह—

उपाध्यक्ष जी, अभी 23 तारीख को मुझे इस पर कहना है। कानसोलिडेशन ऐक्ट के सिलसिले में जो नहरें निकल रही हैं, सड़क बन रही हैं, जितनी प्रोसीडिंग्स अब तक चकबंदी में थी उन पर नये सिरे से सोच रहे हैं तो उस वक्त कोई बात होगी तो तिवारी जी और हम आपस में बात कर लेंगे और जरूरी होगा तो प्रोवीजन किया जायगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देते हैं कि संशोधन करते समय इन मेरे सुझावों पर विचार कर लेंगे। यह आश्वासन देने पर मैं वापस ले लूंगा।

(कोई उत्तर न देने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने शर्तिया वापस ले ली है। लिहाजा मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इनमें से एक सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, रवीन्द्र सिंह, श्रीनारायण तथा हुकुम चन्द तिवारी की है जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा इलाहाबाद तथा बरेली में कार्यरत तापीय विद्युत् गृहों को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में है। इसको मैंने स्वीकृत किया है और इस पर 21 मई, 1979 को माननीय विद्युत् मंत्री वक्तव्य देंगे।

दूसरी श्री गणेशी लाल चौधरी की है जिसे मैंने अस्वीकृत किया है।

सारनाथ (वाराणसी) संग्रहालय में संग्रहीत पुरातत्व महत्व की सम्पत्ति गायब हो जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार थाना आदमपुर क्षेत्र, जिला वाराणसी में स्थित महाबोधि इण्टर कालेज, सारनाथ के प्रधानाचार्य डा0 भिक्षु धर्म रक्षित जिनका आवास विद्यालय के प्रांगण में था व जो अकेले रहते थे, की दिनांक 23-5-77 को आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर महाबोधि सोसाइटी, सारनाथ के सेक्रेटरी श्री गुण रत्न ने आवास के बाहरी दरवाजे पर ताला लगाकर सील कर दिया।

2—स्वर्गीय डा० धर्म रक्षित के घरेलू सामान के उत्तराधिकार के बारे में विवाद है। उक्त कालेज के चपरासी श्री सीताराम मौर्य ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) के यहां दावा किया कि स्वर्गीय प्रधानाचार्य उसके नाम वसीयतनामा लिख गए हैं अतः उनकी सारी सम्पत्ति उसे मिलनी चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने भी सम्पत्ति को कालेज की सम्पत्ति होने का दावा किया। इस पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने उत्तराधिकार निश्चित करने के बारे में दीवानी न्यायालय से निर्णय प्राप्त करने के आदेश दिए।

उत्तराधिकार का मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है।

3—दिनांक 29-11-77 को उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य ने स्वर्गीय डा0 धर्म रक्षित के आवास की खपरैल हटाकर चोरी होने के बारे में थाना आदमपुर पर

श्री रमाशंकर कौशिक--

लिखित सूचना दी, जिसके आधार पर धारा 457/380 भा0 द0 वि0 के अधीन मुकदमा अपराध संख्या 248 थाना आदमपुर पर पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचना के दौरान स्वर्गीय डा0 धर्म रक्षित के आवास का ताला खोलने के बारे में बिवेचना कर्ता ने कार्यवाही की ताकि घटना का निरीक्षण किया जा सके और चोरी गए सामान की जानकारी मिल सके । अत: दिनांक 9-12-77 को विवेचक ने साक्षीगण से समक्ष ताला खोलकर उसमें पाए गए सामान की सूची बनाई और सामान सुपुर्दगी में दे दिया ।

4--विवेचना से यह ज्ञात नहीं हुआ कि कितना तथा क्या सामान चोरी हुआ। बिवेचना उपरान्त उक्त अभियोग में दिनांक 9-2-78 को अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 15-3-78 को अन्तिम रिपोर्ट स्वीकृत की गई ।

5--प्राप्त सूचना के अनुसार यह सही नहीं है कि सारनाथ संग्रहालय (वाराणसी) से लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की पुरात्व महत्व की वस्तुएं गायब हो गई हैं ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, प्रश्न बड़ा गम्भीर है । सारनाथ संग्रहालय जहां यह बौद्ध सामग्री रखी गई थी उसमें यह भी कहा जाता है कि लाखों रुपये की सोने-चांदी के जवाहरात तथा ग्रंथ थे। जो वहां के प्रधानाचार्य थे और जब तक यह निर्णय नहीं लिया जाता है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करें ।

श्री मित्रसेन--

मैं यह जानना चाहता हूं कि सारनाथ की जो सारी सम्पत्ति वहां रखी हुई थी वह किसकी सुपुर्दगी में थी ? बगल में ही थाना था । वह किसके चार्ज में दिया गया था । किस तरह से चोरी की गई है ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, एक बात तो यह है कि यह पुरात्व विभाग की सामग्री नहीं थी जैसा कि मेरे वक्तव्य से स्पष्ट है । विद्यालय के जो प्रधानाचार्य थे उनके घर में जो सामान था, उसी से यह प्रश्न सम्बन्धित है । उसमें अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे यह कहा जा सके कि उसमें इतना सामान था । कोई इस बात का साक्षी नहीं है । जहां तक इस बात का प्रश्न है कि किसका सामान था, यह मालूम किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में जैसे-जैसे रिपोर्ट होती गई और उसकी विवेचना होती गई। प्रधानाचार्य से इसलिये सम्बन्धित था क्योंकि वह पुरातत्व विभाग की सामग्री नहीं थी । वहां के चपरासी और अधिकारीगण कहने लगे कि वह हमारी थी, महाबोधि वाले कहने लगे कि वह हमारी है, इसलिये जब तक दीवानी का फैसला न हो जाय तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते । जो चोरी होने की बात कही जाती है तो उसमें विवेचना की गई और यह नहीं पाया गया कि कितने मूल्य का कितना सामान चोरी गया है ।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला बस्ती)--

मान्यवर, जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गई उसमें कहा गया है कि खपरैल हटाकर चोरी की गई है तो मैं यह जानता हूं कि पुलिस जब इस बात का निरीक्षण करने के लिये वहां गई तो उसमें यह पाया गया कि वास्तव में खपरैल हटाया हुआ था और तब चोरी हुई है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय प्रधानाचार्य की आकस्मिक मृत्यु हुई और महाबोधि सोसाइटी, सारनाथ के सेक्रेटरी श्री गुणरत्न ने आवास के बाहरी दरवाजे को सील कर दिया था तो उस समय सामान की कोई फेहरिस्त बनायी गई थी और जब सामान चोरी चला गया तब भी वहां के सामान की फेहरिस्त बनायी गई होगी। तो इन दोनों फेहरिस्तों में क्या अन्तर है।

श्री रमा शंकर कौशिक--

जब ताला लगाया था तो उस समय कोई सूची नहीं बनायी गई थी।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में विवाद है। यह भी कहा गया है कि मृतक वसीयतनामा लिख गये हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उस वसीयतनामे में किन-किन चीजों का जिक्र है।

श्री रमा शंकर कौशिक--

जिस वसीयत का जिक्र है जो सीताराम चपरासी के संबंध में है, यह 25-5-77 को लिखा जाना श्री सीताराम बताते हैं। इस वसीयतनामे की रजिस्ट्री डा0 भिक्षु धर्मरक्षित के मरने के 6 माह बाद 24-11-77 को करायी गयी है। इसमें किसी निजी संग्रहालय अथवा सोने-चांदी या तांबे के सिक्कों अथवा पुरावशेषों का कोई उल्लेख नहीं है।

श्री मित्रसेन--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मामला जब विवादास्पद है तो उस सामान का कहीं जिक्र आया है या नहीं कि कौन-कौन सामान वसीयतनामे में था वह अदालत का मामला होगा या वसीयतनामा ऐसे ही फर्जी है, उसकी रजिस्ट्री हुई होगी।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, जो मामला दीवानी में संदर्भित है वह तो सिर्फ यह जानने के लिए संदर्भित किया गया है जो दावेदार बन रहे हैं उनका इनसे कितना संबंध है। उसमें

[श्री रमाशंकर कौशिक]—
किसी प्रकार की फेहरिस्त का सवाल नहीं है । बाद में जब चोरी हो गयी और विवेचना अधिकारी गये उन्होंने जो सूची बनाई उसमें जो सामान मिला वह सब दर्ज है । उसमें सोने चांदी का कोई सवाल नहीं है, कुछ पुस्तकें हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र—
क्या मंत्री जी इस बात की पुनः जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे महाबोधि सोसाइटी के प्रधानाचार्य ने जिस समय ताला बंद किया उस समय कोई सूची बनाई है और जिस चपरासी के नाम वसीयत होने का उल्लेख किया है उसके पास कोई सूची है । तो क्या पुनः इन दोनों से सूची प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ।

श्री रमाशंकर कौशिक—
माननीय सदस्य ने भी प्रकाश डाला है उसके संबंध में तथा सामान के रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो भी आवश्यक है उसकी जांच अभी जारी है, जारी रहेगी, जब तक किसी अंतिम और अच्छे निर्णय पर, संतुष्ट निर्णय पर हम नहीं पहुंच जाते हैं ।

श्री जसवीर सिंह (जिला ऐटा)—
क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे जैसा उन्होंने उत्तर दिया है कि इसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई है । इस मामले में दो तथ्य सामने आये हैं । चोरी हुई और चोरी होने के बाद माल नहीं पकड़ा गया तो क्या इस आधार पर फाइनल रिपोर्ट लग गई कि कोई माल नहीं पकड़ा गया ।

श्री रमा शंकर कौशिक—
मान्यवर, फाइनल रिपोर्ट विवेचना के आधार पर लगाई जाती है । चोरी में क्या-क्या सामान गायब हुआ और कितने मूल्य का सामान था इसका पता नहीं चला और न चोरी के संबंध में क्या-क्या सामान था इसके बारे में पता नहीं चला इसलिए उसमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी ।

श्री जसवीर सिंह—
कोई घटना हो लेकिन अभियुक्त न पकड़ा जाय यह अलग-अलग चीजें हैं । चोरी हुई या नहीं, फैक्ट्स आफ दि केस सही है या नहीं, माल न पकड़ा जाय यह दूसरी चीज है । क्या अभियुक्त नहीं पकड़ा गया इसलिए फाइनल रिपोर्ट लगा दी या चोरी हुई या नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—
यह बात वे कह चुके हैं, चोरी के बारे में ।

श्री जसवीर सिंह—
इस केस की गंभीरता को देखते हुए कि पुलिस इस मामले में इनवेस्टिगेशन सही रूप से नहीं कर सकी तो क्या सी० आई० डी० से इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

जांच अभी जारी है, उन्होंने बताया ।

श्री जसवीर सिंह—

इसमें फाइनल रिपोर्ट हो गई । मामला कठिन है इसलिए सी० आई० डी० ही निकाल सकती है ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

जो फाइनल रिपोर्ट लगी है वह उस घटना के संबंध में लगी है । जो मन में शंकायें हैं, उनपर जांच कराना या न कराना उससे संबन्धित नहीं है । उनके पास क्या-क्या सामान था, उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ, आदि प्रश्नों को लेकर जांच हो रही है ।

श्री जसवीर सिंह—

मंत्री जी का कहना है चोरी हुई, लेकिन पुलिस पता नहीं लगा पाई कि क्या-क्या सामान था, इसलिए उसने फाइनल रिपोर्ट लगाई और कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया, तो क्या वह अब इस मामले में सी० आई० डी० से जांच करायेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

29-11-77 को रिपोर्ट होती है और 9-2-78 को फाइनल रिपोर्ट लग जाती है । आज तक किसी मुकदमे में इतनी जल्दी रिपोर्ट लगी हो तो उत्तर प्रदेश में उसकी एक भी कहीं मिशाल नहीं मिलेगी, जब तक पुलिस को उसमें कोई व्यक्तिगत दिलचस्पी न हो, तो इसको देखते हुए मंत्री जी इस मामले में क्या दुबारा जांच कराने और नये सिरे से चार्ज लगाने के निर्देश देंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

किस पर लगायेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा—

जिस अधिकारी ने भी जांच की, उसने अपनी व्यक्तिगत दिलचस्पी दिखा दी तो क्या ऐसी स्थिति में दूसरे अधिकारी की तफतीश देकर इसको फिर से मंत्री जी जांच करा लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

जांच किस माध्यम से कराई जा रही है, यह आप बता दें ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

यह जो जांच सामान वगैरह की हो रही है, वह पुलिस द्वारा न होकर जिलाधिकारियों के जरिये से हो रही है, और पुरातत्व विभाग के माध्यम से हो

[श्री रमाशंकर कौशिक]

रही है । उसका इस चोरी के मामले से कोई संबंध नहीं हैं । चोरी के मामले में कोई साक्ष्य, अभियुक्त या सामान की लिस्ट नहीं मिली, इसलिये उसपर अन्तिम रिपोर्ट लग गई । लेकिन क्या वाकई वह सामान उनके पास था, वह कितने मूल्य, महत्व का था और कितना प्राचीन था, इन सब पर अब जांच हो रही है ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

यह ऐसा मामला है, जिसमें वाराणसी और इलाहाबाद के जयदेश और सन्मार्ग जैसे बड़े-बड़े पत्रों ने विस्तार से लिखा है । इस संबंध में बड़े-बड़े आरोप लगाये गये हैं और सामान के बारे में जानकारी दी गई है कि सोने के इतने और तांबे के इतने सिक्के आदि तमाम बहुमूल्य सामान थे और पुलिस की इसमें साजिश है । तो वही पुलिस उसकी जांच कर रही है, जब कि बराबर वहां की जनता मांग कर रही है कि सी० आई० डी० जांच करे । तो सरकार क्यों नहीं सी० आई० डी० के जरिये जांच कराती है । यदि यह सामान एक व्यक्ति का नहीं तो पुरातत्व विभाग का होना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले उसे दबाये बैठे हैं...

सी० आई० डी० की जांच सरकार नहीं करवा रही है । व्यर्थ प्रेस्टिज पकड़े हुए है । सी० आई० डी० की जांच होनी चाहिए । तब पता चलेगा । मैं तो आरोप लगाऊंगा, जो मैजिस्ट्रेसी है, पुलिस है, वारणसी की उसमें लिपटी हुई है । मेरे पास कटिंग है । तमाम लुप्त बातें हैं । माननीय मंत्री को दिखा सकता हूं । (व्यवधान) सी० आई० डी० की जांच करवाने में माननीय मंत्री को क्या आपत्ति है ?

श्री उपाध्यक्ष—

सी० आई० डी० की जांच करवाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

सी० आई० डी० में मामला जाने से कोई लाभ नहीं होगा । जो अधिकारीगण कर रहे हैं और दूसरे लोग कर रहे हैं उसमें सहायता कीजिये । उनके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखता हूं । माननीय मंत्री जी को दे दिया जाय ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

जो साक्ष्य हो उसके मुताबिक कार्यवाही की जायगी ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा—

जिन लोगों का चोरी में हाथ हो वही लोग जांच करें, यह मेरी समझ में नहीं आता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री शतरुद्रप्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिसमें 750 सोने के, 500 चांदी के और 1,000 तांबे के सिक्के एकत्र थे, पुरातत्व मूल्य की वस्तुएं थीं। पूरी वस्तुओं की कीमत लगायी जाय तो 50 लाख से ज्यादा कीमत की होगी, और उनका अपना ऐतिहासिक महत्व है ही। क्या माननीय मंत्री की जानकारी है कि वाराणसी के कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है कि उसमें भी लिखा है, उनको भी आश्चर्य हुआ कि यह पुलिस ने सारे के सारे माल को कैसे किसी की सुपुर्दगी में दे दिया। वाराणसी के कमिश्नर ने आश्चर्य प्रकट किया है कि वाराणसी के अतिरिक्त जिला अधिकारी ने न मालूम कैसे मामले को इतनी ढीलढाल देते रहे। मंत्री जांच कराएं पुलिस द्वारा जिसकी सुपुर्दगी में माल दिया गया उसको पंजीकरण अधिकारी देखते हैं, वहां पर माल का निरीक्षण करते हैं, और पुलिस की मौजूदगी में मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में माल गायब पाया जाता है। उन्हीं स्थानीय अधिकारियों से माननीय मंत्री जांच कराना चाहते हैं, उन्हीं स्थानीय कर्मचारियों पर विश्वास करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे तो सच्चाई सामने नहीं आ पायेगी। यह प्रदेश की ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बात है कि इतने पुरातत्व मूल्य की वस्तुएं चोरी हो जायं, उनका घपला हो जाय। कमिश्नर की रिपोर्ट कहती है। उसकी खुफिया जांच कराने में शर्म, हिचक या संकोच होना ही नहीं चाहिए। ईमानदार होने के नाते जो सरकार को चलाना चाहते हैं उनको तुरन्त सी0 आई0 डी0 की जांच की घोषणा कर देनी चाहिए। क्या माननीय मंत्री सारे प्रकरण की खुफिया जांच करवाने का आश्वासन देंगे या कोई मंत्रिपरिषद् का सदस्य जांच करके तथ्यों का पता लगायेगा।

श्री रमाशंकर कौशिक--

एक बात तो यह कहना चाहता हूं कि जिन आधारों पर सोने चांदी के सिक्के बताये जा रहे हैं और दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं बतायी जा रही हैं, यह सीताराम मौर्य के स्टेटमेंट के आधार पर हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

एक बात आप स्पष्ट कर दें। जब पुलिस ने सुपुर्दगी में दिया उस समय सूची अवश्य बनी होगी।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके आधार पर यह बातें रखी जा रही हैं वह सीताराम मौर्य से बयान पर की जा रही हैं।

[श्री रमा शंकर कौशिक]

और सीताराम मौर्य वह व्यक्ति हैं जो उस इन्टर कालेज में चपरासी हैं और जिन्होंने यह दावा किया है कि मेरे नाम वसीयतनामा हुआ है । वह रजिस्ट्रेशन मृत्यु के 6 महीने बाद कराया गया है । इसलिये इस सम्बन्ध में एक प्रश्न चिन्ह की गुंजाइश है । ऐसे व्यक्ति का हवाला है जो यह कह रहें है कि मेरे नाम वसीयतनामा है । जो लिस्ट बनी है उसके बारे में कहना चाहता हूं। मान्यवर, महाबोधि सोसाइटी के ज्वाइन्ट सेक्रेटरी श्री बी0 गुणरत्न ने अपने पत्र दिनांक 6-12-77 के माध्यम से श्री वी० रेवता, थेरो असिस्टेन्ट भिक्षु प्रभारी महाबोधि सोसायटी सारनाथ को अधिकृत किया कि पुलिस की उपस्थिति में स्वर्गीय डा0 धर्म रक्षित आवास के ताले का सील तोड़कर उसमें उपस्थित सामग्रियों की सूची बनवाये, उसके पश्चात् दिनांक 9-12-1977 को विवेचक ने ताला खोलवा कर साक्षीगण के समक्ष स्वर्गीय धर्म रक्षित के सभी सामानों की सूची जो एक लगायत 144 तक है बनायी और सभी सामानों को तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री रामसिंह की सुपुर्दगी में दिया जो उनके पास है ।

अब मान्यवर, बात यह ध्यान देने की है कि जो विवाद है वह पुरातत्व विभाग से सम्बन्धित नहीं है। यह निजी सम्पत्ति का मामला था और सोसायटी वाले कहते हैं कि हमारा अधिकार है और जो विद्यालय वाले लोग हैं वह कहते हैं कि हमारा अधिकार है और एक कहता है कि हमारा वसीयतनामा है, सभी लोगों के समक्ष सूची बनाई गई जो सामान सुपुर्द किया गया वह सोसायटी को नहीं दिया गया वह श्री राम सिंह को दिया गया, 1 से लेकर 144 तक लिस्ट है। उसकी जांच पुरातत्व विभाग के जरिये से और दूसरे अधिकारियों के जरिये हो रही है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

कमिश्नर से बड़ा अधिकारी कोई नहीं । उन्होंने क्या निर्णय किया है उनके निर्णय के बाद तो केवल सी० आई० डी० की जांच के अलावा और कोई चारा नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह मामला कमिश्नर के पास तक गया और वाराणसी के कमिश्नर ने अपना कोई निर्णय दिया है? और अपनी राय जाहिर की है ? अगर उन्होंने कोई राय जाहिर की है तो वह क्या है? उसको सदन में माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें। और क्या उन्होंने इस के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेवार माना है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मेरे पास उसकी कटिंग है । पढ़ लें ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

कमिश्नर की रिपोर्ट की जो बात की जा रही है वह इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

बिना उस रिपोर्ट के जाने कोई बात समझ में नहीं आ सकती है ।

मान्यवर, लोक सभा में और विधान सभा में भी जब किसी जांच के बारे में वक्तव्य आता है और कोई साक्ष्य या प्रालेख सरकार द्वारा उपस्थित नहीं होता है तो माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी, यदि सदन द्वारा मांग होती है उसे मंगवाकर दिखा सकते हैं । तो मेरी प्रार्थना है कि आप निर्देश दें कि कमिश्नर का जो निर्णय है, जिसे प्रशासनिक फैसला करने का अधिकार है, उसको आप मंगवाकर देख लें और सदन को भी दिखवा दें ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि कमिश्नर की कोई रिपोर्ट है तो निश्चित रूप से उसको मंगा ली जायेगी या जो फैसला दिया है, अगर वह है तो वह भी मंगा लिया जायगा और सदन में पेश कर दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें काफी माननीय सदस्यों का आग्रह है और 50 लाख रुपये के सामान का मामला भी है तो इस पर आप अग्रेतर बयान दे दें ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद 2 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये सदन स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

18 मई, 1979

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०—7 विधान सभा—3-5-80—835 (हिन्दी) ।